युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

भारत सरकार

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

जनवरी, 2014

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश

1 युवाओं का महत्त्व ....
2 भारत में युवा संबंधी प्रयास ....
3 राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का विज़न, उद्देश्य और प्राथमिकता क्षेत्र ....
4 मौजूदा नीतियाँ और भावी आवश्यकताएं ....
4.1शिक्षा ....
4.2रोजगार और कौशल विकास...
4.3उद्यमशीलता...
4.4स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली..
4.5खेल..
4.6सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देना..
4.7सामुदायिक विनियोजन.. 4.8राजनीति और शासन में भागीदारी.. 4.9युवाओं का विनियोजन..
4.10 समावेशन...
4.11सामाजिक न्याय.. ....
.5निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा.. .6भावी कार्य योजना के विषय में सिफारिशें...
संक्षिप्तियों की सूची..

कार्यकारी सारांश

1. भारत ऐसे जनसांख्यिकीय बदलाव के मुहाने पर है, जो कि टाइगर कहलाने वाले पूर्वी एशियाई देशों के सकल घरेलू उत्पाद में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई शानदार बढ़ोत्तरी का कारण बननेवाले जनसांख्यिकीय बदलाव के जैसा है। तथापि, इस जनसांख्यिकीय बदलाव का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता हो कि वह बढ़ी हुई श्रम शक्ति को रोजगार दे सके तथा अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान करने के लिए युवाओं को उपयुक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त हों।

2. जनसंख्या में 15-29 वर्ष की आयु के युवा 27.5% तथा 13-35 वर्ष की आयु के युवा 41.3% हैं। फिलहाल भारत की सकल राष्ट्रीय आय(जीएनआई) में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं का योगदान लगभग 34% है, तथापि श्रम शक्ति में राष्ट्र के इस श्रेणी के नागरिकों की भागीदारी तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाकर उनके योगदान में भारी बढ़ोत्तरी करने की बहुत संभावनाएं हैं।

3. भारत सरकार फिलहाल[1] युवा विकास कार्यक्रमों पर प्रति वर्ष 90,000 करोड़ रुपए से अधिक अर्थात प्रति युवा प्रति वर्ष लगभग 2,710 रुपए का निवेश युवा-लक्षित कार्यक्रमों(उच्चतर शिक्षा, कौशल विकास, किशोर/किशोरी स्वास्थ्य देखरेख इत्यादि) तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों(खाद्य सब्सिडी, रोजगार इत्यादि) के माध्यम से कर रही है, जो केवल युवाओं पर लक्षित नहीं हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें और कई अन्य स्टेकहोल्डर भी युवा विकास तथा युवाओं की उत्पादक भागीदारी को संभव बनाने के कार्य में सहायता कर रहे हैं। तथापि गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग संगठन छोटे एवं बँटे हुए हैं तथा युवाओं संबंधी मुद्दों पर कार्यरत इन विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

4. राष्ट्रीय युवा नीति 2014(एनवाईपी 2014) में देश के युवाओं के विषय में भारत सरकार के विज़न को परिभाषित करने तथा उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया गया है, जिनमें युवा विकास को संभव बनाने के लिए कार्य किए जाने की जरूरत है, जहाँ पर्याप्त कार्य नहीं किया जा रहा है तथा सभी स्टेकहोल्डरों के कार्यों का फ्रेमवर्क दर्शाया गया है। इस नीति का

---

[1]स्रोत : केंद्रीय बजट, 2011-12

उद्देश्य मार्गदर्शक दस्तावेज की भूमिका निभाना है तथा 5 वर्षों में एक बार इस नीति की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि भारत सरकार युवाओं के विषय में अपनी प्राथमिकताओं में आवश्यकतानुसार बदलाव ला सके।

5. एनवाईपी 2014 में भारत के युवाओं के विषय में संपूर्ण विज़न दर्शाया गया है, जिसका उद्देश्य **"देश के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त बनाना तथा उनके माध्यम से भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसका सही स्थान दिलाना है"।** इस विज़न को साकार करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को 5 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयास करने चाहिएं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युवा विकास हेतु चिह्नित किए गए 11 प्राथमिकता क्षेत्रों में से एकाधिक क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता है। आगे दर्शाया गया एग्जिबिट एनवाईपी 2014 के इन विज़न, उद्देश्यों तथा प्राथमिकता क्षेत्रों का सार प्रस्तुत करता है। इसमें इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध सकारात्मक कारकों की सूची भी दर्शाई गई है।

एग्जिबिट ई.1 एनवाईपी 2013 के विज़न, उद्देश्य और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

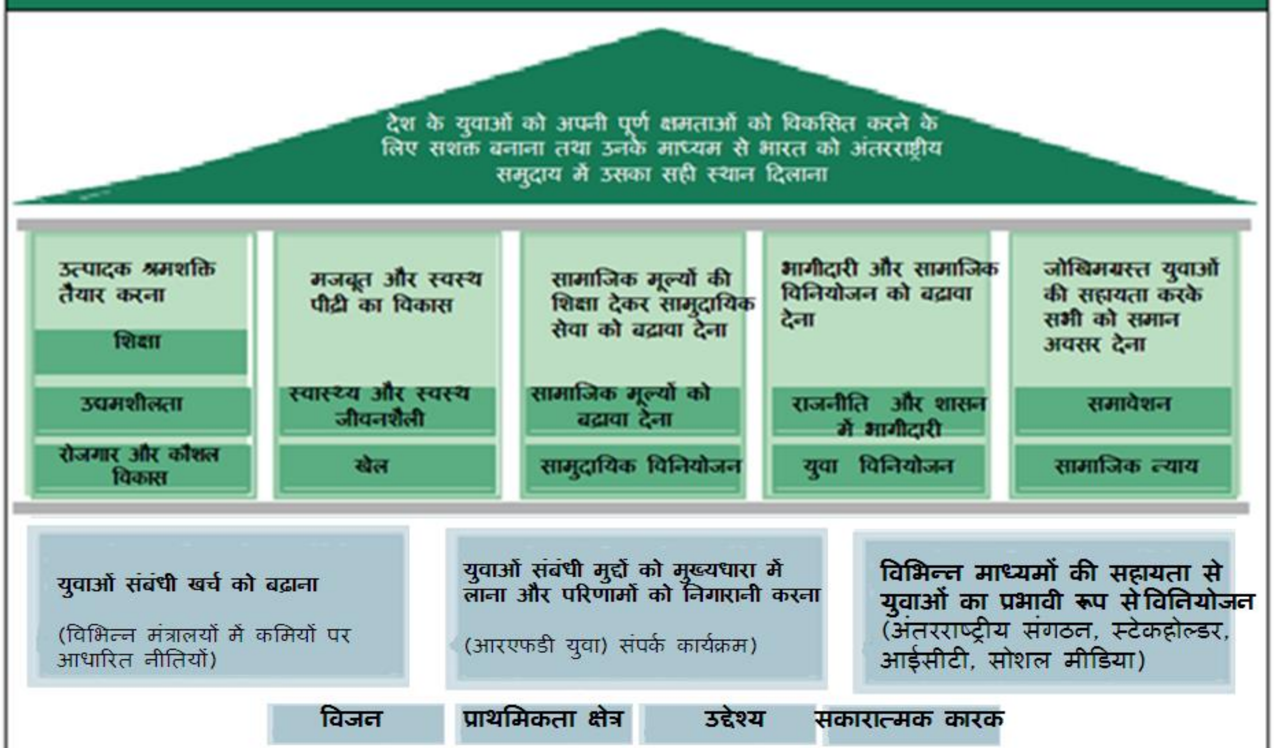

6. इस नीति में प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक विशिष्ट भावी नीतिगत पहलों की सिफारिश करने की कोशिश की गई है। इन्हें आगे सारणी में संक्षेप में दर्शाया गया है :

एग्जिबिट ई2: एनवाईपी 2014 के उद्‌देश्य, प्राथमिकता वाले क्षेत्र और भावी आवश्यकताएं

उद्‌देश्य	प्राथमिकता वाले क्षेत्र	भावी आवश्यकताएं
1. एक सफल कार्यबल का गठन करना जो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में स्थायी योगदान दे सके।	शिक्षा	• क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की प्रणाली तैयार करना • कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना
	रोजगार और कौशल विकास	• लक्षित युवाओं तक पहुंच और जागरुकता • प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच संपर्क बढ़ाना • सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना

	उद्यमशीलता	• लक्षित युवाओं तक पहुंचने के कार्यक्रम • क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों का दायरा विस्तृत करना • युवा उद्यमियों के लिए कस्टमाइज्ड कार्यक्रम तैयार करना • व्यापक निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन
2. एक ऐसी सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना जो भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो।	स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली	• सेवा प्रदायगी की स्थिति को बेहतर बनाना • स्वास्थ्य, पोषण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी • युवाओं के लिए लक्षित नियंत्रण कार्यक्रम
	खेल	• खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण की बेहतर उपलब्धता • युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना • प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सहायता और उनका विकास
3. सामाजिक मूल्यों की भावना मन में बैठाना और राष्ट्रीय जिम्मेवारी	सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना	• नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रणाली को उचित रूप देना • युवा के विनियोजन कार्यक्रमों को

बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना		सुदृढ़ बनाना • नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत एनजीओ और गैर-लाभकारी संगठनों को सहायता
	सामुदायिक विनियोजन	• विद्यमान सामुदायिक विकास संगठनों की सेवाएं लेना • सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
4. शासन के सभी स्तरों पर नागरिकों की सेवाएं लेना और उनकी भागीदारी को आसान बनाना	राजनीति और शासन में भागीदारी	• राजनैतिक व्यवस्था से बाहर के युवाओं को शामिल करना • युवाओं के लिए सहायक शासन तंत्र सृजित करना • शहरी शासन में युवा भागीदारी को बढ़ावा देना
	युवाओं की भागीदारी	• युवा विकास योजनाओं की प्रभाविता की निगरानी और उसके लिए उपाय • युवाओं के विनियोजन के लिए मंच तैयार करना
5. जोखिमग्रस्त युवाओं के लिए सहायता और लाभ से वंचित एवं सीमांत युवाओं के	समावेशन	• लाभ से वंचित युवाओं को समर्थ बनाना एवं उनकी क्षमता को बढ़ाना • हिंसा-ग्रस्त क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना • विकलांग युवाओं की मदद के लिए

लिए समता-मूलक अवसर सृजित करना		एक बहु-सूत्री दृष्टिकोण तैयार करना • युवाओं के लिए जानकारी एवं अवसर बढ़ाना
	सामाजिक न्याय	• अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए युवाओं की सेवाएं लेना • सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा बढ़ाना

7. कार्य के 11 प्राथमिकता क्षेत्रों में निर्धारित की गई कमियों को दूर करने के उद्देश्य से सभी स्टेकहोल्डरों की ओर से समन्वित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। स्टेकहोल्डर मानचित्र तैयार करके उसमें स्टेकहोल्डर की भूमिकाएं तथा दायित्व निर्धारित किए जाने चाहिएं। सरकार को इन युवाओं के रूप में उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने के लिए युवाओं संबंधी प्रयासों में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ सभी सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय से प्रयास करने चाहिएं कि सभी क्षेत्रों और नीतियों की मुख्यधारा में युवाओं को शामिल किया जाए। युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए कई साधनों का सहारा लिया जा सकता है, जिनमें युवाओं के बीच गहरी पैठ रखने वाला मीडिया तथा मौजूदा युवा विकास संगठनों का नेटवर्क शामिल हैं।

8. इसके अतिरिक्त एनवाईपी 2014 की सफलता की निगरानी तथा उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। अग्रणी और परिवेष्टन संसूचक निर्धारित किए गए हैं। इन सभी संसूचकों के संबंध में बेसलाइन निर्धारण किया जाना चाहिए, वार्षिक लक्ष्य तय किए जाने चाहिएं तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की निगरानी की जानी चाहिए। संसूचकों के संबंध में प्रगति की जानकारी राष्ट्र को देने, प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने तथा नई और निपटाई न जा सकी चुनौतियाँ निर्धारित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को युवाओं की स्थिति के विषय में द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए। इस रिपोर्ट से देश के युवाओं को भी उनके विकास के लिए शुरू किए गए सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी मिल सकेगी।

9. राष्ट्र को आजादी दिलाने से लेकर यथास्थिति में बदलाव लाने वाली नई प्रौद्योगिकियों के आविष्कार और कला, संगीत एवं संस्कृति की नई शैलियों के विकास तक इतिहास के हर दौर में युवा ही बदलाव के अग्रदूत रहे हैं। भारत के युवाओं के विकास में सहायता करना एवं उसे बढ़ावा देना ही इस राष्ट्र के सभी क्षेत्रों और स्टेकहोल्डरों की सर्वप्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।

***

युवाओं का महत्त्व

"युवा" की परिभाषा

1.1 युवा किसी निर्धारित आयु-वर्ग से अधिक व्यापक श्रेणी है। प्रायः अनिवार्य शिक्षा छोड़ने तथा अपना पहला रोजगार पाने के बीच वाली आयु के व्यक्ति को "युवा" माना जाता है। अक्सर युवा आयु-वर्ग को विभिन्न देश/एजेंसियाँ तथा एक ही एजेंसी विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'युवा' को 15 से 24 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है[2]।

1.2 राष्ट्रीय युवा नीति-2003 में 'युवा' को 13 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था, लेकिन जहाँ तक विभिन्न नीतिगत उपायों का संबंध है, और अधिक संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से मौजूदा नीतिगत दस्तावेज में युवा आयु-वर्ग को 15 से 29 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.3 तथापि, इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि इस आयु-वर्ग में आने वाले सभी युवा व्यक्तियों का एक जैसे सरोकारों और जरूरतों वाले समान समूह में शामिल होना संभव नहीं है तथा उनकी भूमिकाएं एवं दायित्व अलग-अलग हैं।

---

[2]http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/ ; 1 July 2013 को देखी गई।

1.4 अनुकूल जनसांख्यिकीय रूपरेखा से भारत को लाभ : जनसंख्या में 15-29 वर्ष की आयु के युवा 27.5% हैं।[3]. आशा है कि भारत वर्ष 2025 तक अमरीका, चीन और जापान[4] के बाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.5% से 6% तक योगदान करने वाली चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहाँ एक ओर इनमें से अधिकांश देशों में श्रम शक्ति के वृद्ध होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में जनसांख्यिकीय रूपरेखा बहुत अनुकूल होने की आशा है, जैसा कि एग्जिबिट 1.1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2020 तक भारत की जनसंख्या 1.3 बिलियन से अधिक हो जाने की संभावना है, जिसकी मध्यम आयु 28 वर्ष होगी, जो कि चीन और जापान की संभावित मध्यम आयु से काफी कम है। भारत की कामकाजी आबादी वर्ष 2020 तक बढ़कर 592 मिलियन होने की आशा है, जो कि केवल चीन से कम होगी(776 मिलियन), जिसका अर्थ यह है कि युवा देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान करेंगे। इस 'जनसांख्यिकीय लाभ' से भारत को बेहतर अवसर प्राप्त होता है।

एग्जिबिट *1.1*भारत में जनसांख्यिकीय रूपरेखा बहुत अनुकूल होने वाली है

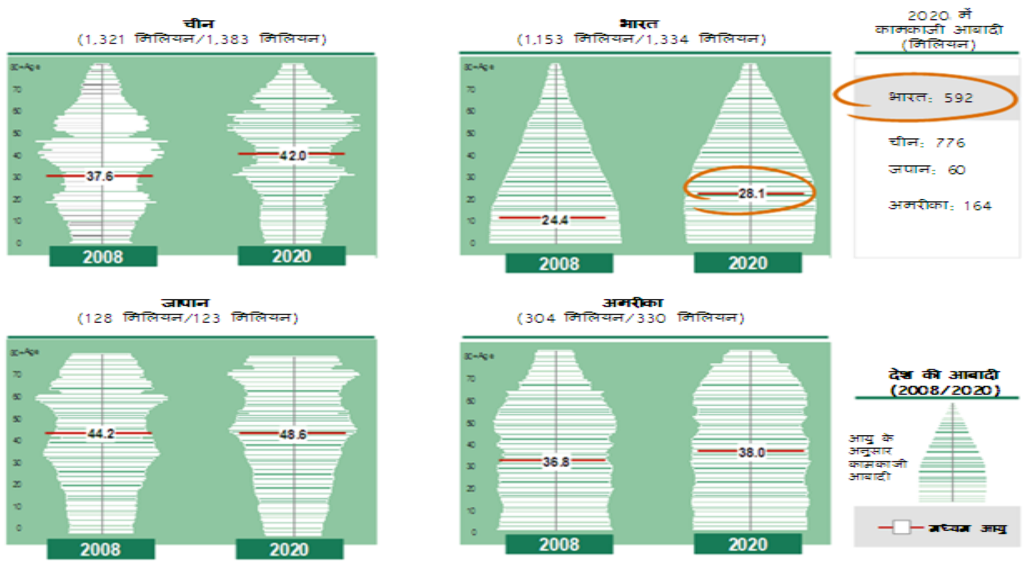

1. कामकाजी आबादी में केवल आर्थिक रूप से सक्रिय जन समुदाय शामिल है।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान,बीसीजी विश्लेषण।

[3] आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। उपलब्ध आंकड़े 0 से 4 वर्ष तक की आयु के 5 वर्षीय समूदायों के हैं।

[4] 12वीं पंचवर्षीय योजना खंड 1

भारत में युवा संबंधी प्रयास

2.1 भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के लिए निवेश करती है : भारत सरकार युवाओं को ही लक्ष्य करके योजनाएं चलाने वाले तथा सामान्य जनसमुदाय को लक्ष्य करके योजनाएं चलाने वाले मंत्रालयों के माध्यम से युवा विकास पर काफी धनराशि व्यय करती है। भारत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और नियोजन के क्षेत्रों में युवा विकास पर लक्षित योजनाओं पर लगभग 37,000 करोड़ रुपए तथा आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए बनाई गई उन योजनाओं पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए व्यय करती है, जिनका मुख्य लक्ष्य युवा न होते हुए भी, जिनके लाभार्थियों में काफी युवा होते हैं। कुल मिलाकर यह व्यय 90,000 करोड़ रुपए से अधिक बैठता है(एग्जिबिट 2.1)[5]।

- 37,000 करोड़ रुपए के लक्षित व्यय में 80% से अधिक निधियाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी) तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय(एमओएसजेई) के माध्यम से शिक्षा के लिए आबंटित कर दी जाती हैं। मुख्यतः विभिन्न सरकारी स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदानों और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों व फेलोशिप के रूप में छात्र/छात्राओं को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष नकद लाभ के माध्यम से यह व्यय किया जाता है। इसके अलावा कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य एवं नियोजन के क्षेत्रों में युवा विकास पर लक्षित कार्यक्रम भी हैं।
- खाद्य सब्सिडी, मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचे के विकास, रोग नियंत्रण एवं परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों पर किए जाने वाले गैर-लक्षित व्यय के भी काफी लाभार्थी युवा होते हैं। अपनी कुछ योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाले अन्य मंत्रालयों में पेयजल और स्वच्छता

---
[5] स्रोत : केंद्रीय बजट, 2011-12।.

मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय(एमएलई), जनजातीय कार्य मंत्रालय(एमओटीए) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल हैं।

यह व्यय कुल मिलाकर लगभग 2,710 रुपए प्रति युवा बैठता है, जिसमें से 1,100 रुपए लक्षित व्यय है, जैसा कि एग्जिबिट 2.1 में दर्शाया गया है।

एग्जिबिट ई. 4 युवाओं पर भारत सरकार का लक्षित और गैर-लक्षित व्यय

लक्षित और आनुपातिक व्यय के अनुसार युवाओं संबंधी व्यय का ब्यौरा

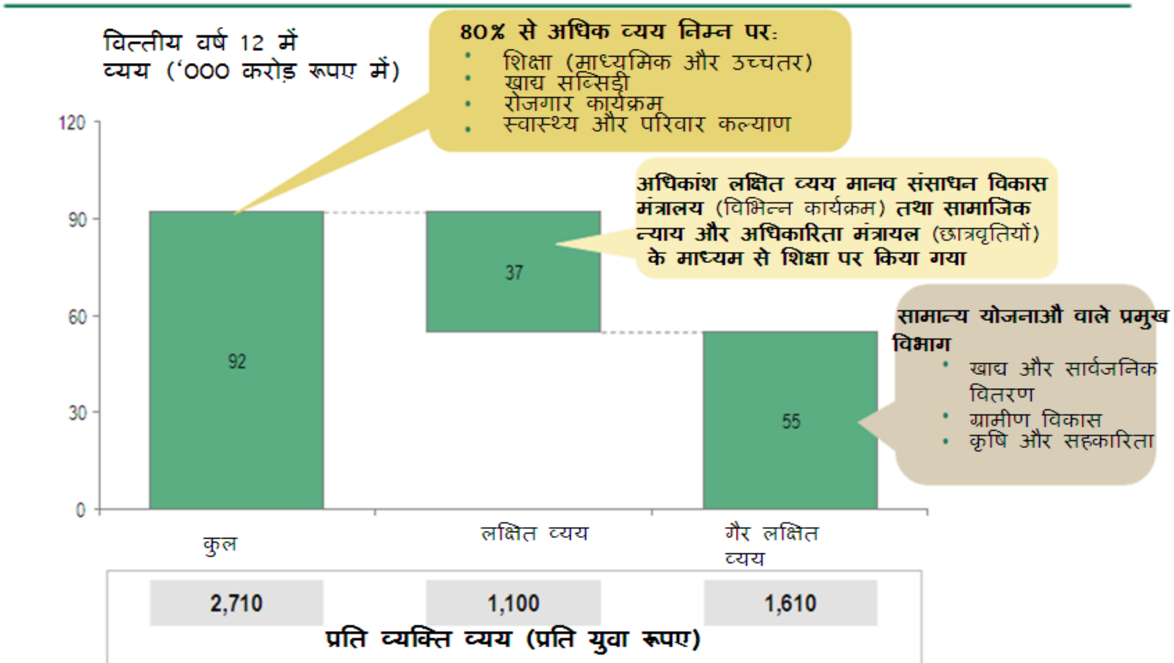

नोट: इस विश्लेषण में उर्वरक मंत्रालय पर विचार नहीं किया गया (किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी)
स्रोत: केंद्रीय बजट 2011-12,बीसीजी विश्लेण

2.2 राज्य सरकारें भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं पर निवेश करती हैं : युवाओं पर अधिकांश लक्षित व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं संबंधी सेवाओं पर किया जाता है। राज्य सरकारें भी इन शीर्षों पर काफी व्यय करती हैं, जो भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय के

अतिरिक्त है। अतः, युवाओं पर कुल व्यय (केंद्र और राज्य सरकारों का व्यय मिलाकर) बहुत अधिक होगा।

2.3 गैर-सरकारी स्टेकहोल्डर छोटे और बंटे हुए हैं : सरकार के अतिरिक्त विभिन्न स्टेकहोल्डर भी युवाओं से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे हैं। इन स्टेकहोल्डरों में सामाजिक संगठन, कारपोरेट और उद्योग संघ शामिल हैं। इन स्टेकहोल्डरों के दो उद्देश्य इस प्रकार हैं: पहला उद्देश्य तो शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखरेख, खेल इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से युवा विकास को बढ़ावा देना है। दूसरा उद्देश्य सामुदायिक विकास, नीतियों, शासन इत्यादि में युवाओं की भागीदारी और नियोजन में मदद करना है।

2.4 हालाँकि विभिन्न स्टेकहोल्डर युवाओं से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रायः इन संगठनों का आकार छोटा होता है। इसके अतिरिक्त जिन मुद्दों पर, जिन क्षेत्रों में और युवाओं के जिन वर्गों के लिए ये संगठन काम करते हैं, उन सभी के संदर्भ में ये संगठन आपस में बंटे हुए हैं। प्रायः स्टेकहोल्डर किसी समन्वय और व्यापक उद्देश्य या फ्रेमवर्क के बिना कार्य करते हैं।

2.5 युवाओं से संबंधित मुद्दों पर समन्वित कार्रवाई का फ्रेमवर्क : मुख्य चुनौती तो यह है कि युवा वर्ग की मौजूदा स्थिति, उनके सामने आने वाली चुनौतियों तथा इन क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए कोई व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त युवा विकास के लिए कार्यरत विभिन्न स्टेकहोल्डरों की पहचान करने, उनके कार्यकलापों के प्रभाव का विश्लेषण करने तथा यह जानने के लिए कोई समन्वित प्रयास नहीं किया गया है कि युवाओं को और अधिक प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए इन स्टेकहोल्डरों को कैसे एकसाथ लाकर इनके संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है।

2.6 युवाओं के सामने आ रही चुनौतियों का समग्र मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। स्टेकहोल्डरों की मैपिंग की जानी चाहिए, ताकि इन स्टेकहोल्डरों की संख्या, उनके कार्यकलापों के क्षेत्र और युवा विकास एवं नियोजन पर उनके प्रभाव का निर्धारण किया जा सके। अंततः, इन स्टेकहोल्डरों को एकसाथ लाने तथा मुख्य मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाए जाने की जरूरत है।

***

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का विज़न, उद्देश्य और प्राथमिकता क्षेत्र

राष्ट्रीय युवा नीति 2014(एनवाईपी 2014) का उद्देश्य भारत के 15 से 29 वर्ष तक की आयु के युवाओं की स्थिति का समग्र परिदृश्य दर्शाना है। इसमें युवाओं के प्रमुख मुद्दे और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियाँ उजागर की गई हैं तथा यह जानकारी दी गई है कि सभी स्टेकहोल्डर कैसे यह सुनिश्चित करने में युवाओं की सहायता कर सकते हैं कि वे वर्तमान और भविष्य में भी समाज के विकास में सकारात्मक योगदान करें।

विज़न

एनवाईपी 2014 में भारत के युवाओं के विषय में संपूर्ण विज़न दर्शाया गया है, जो कि इस प्रकार है :

"देश के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त बनाना तथा उनके माध्यम से भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसका सही स्थान दिलाना"।

उद्देश्य

इस विज़न को साकार करने के लिए सरकार तथा सभी स्टेकहोल्डरों को आगे दर्शाए गए पाँच सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयास करने होंगे :

उद्देश्य 1: भारत के आर्थिक विकास में स्थायी योगदान कर सकने वाली उत्पादक श्रम शक्ति तैयार करना

उत्पादक युवा श्रम शक्ति तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के युवाओं को स्थायी योगदान करने के लिए सही साधन एवं अवसर उपलब्ध हों। युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने तथा श्रम बाजार के लिए अपेक्षित आवश्यक कौशल विकसित करने के उचित अवसर प्राप्त होने चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें लाभदायक रोजगार प्राप्त हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश श्रम शक्ति स्व-रोजगारी है, युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा व्यवसाय की योजना बनाने, व्यवसाय को परिपक्व बनाने तथा वित्त-पोषण की प्रक्रिया के माध्यम से उनकी सहायता की जानी चाहिए।

उद्देश्य 2: ऐसी मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी का विकास करना, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो

भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपनी क्षमताओं को पूर्णतः विकसित करने में सक्षम भारतीय युवाओं की पीढ़ी विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि युवा स्वस्थ हों तथा उनकी जीवनशैली संतुलित हो। युवाओं के स्वास्थ्य विशिष्ट मुद्दों का समाधान लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाना चाहिए। युवाओं को संतुलित पोषण और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दी जानी चाहिए। युवाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए खेलों और मनोरंजक कार्यकलापों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो।

उद्देश्य 3 : देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा सामुदायिक सेवा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

विविधता के सम्मान और सौहार्द के महत्त्व जैसे सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देने वाले कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा देश को अपना मानने की भावना विकसित करने की आवश्यकता है। युवाओं को विशेषकर सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में सामुदायिक सेवा तथा विकास कार्यकलापों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय युवाओं में अपने देश के अन्य नागरिकों, विशेषकर जो उनसे कम भाग्यशाली हैं, के प्रति नैतिक दायित्व की सुदृढ़ भावना होनी चाहिए। देश के युवाओं को नागरिकों के रूप में अपने दायित्वों की पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके द्वारा ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए, जिसमें सभी नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त हों, जिनकी गारंटी हमारे संविधान में दी गई है।

उद्‌देश्य 4 : शासन के सभी स्तरों पर भागीदारी और सामाजिक नियोजन

शासन के लिए नागरिकों का सक्रिय होना आवश्यक है और यह देखते हुए कि 15 से 29 वर्ष तक की आयु के युवा देश की आबादी में 27.5% हैं, राजनीति और शासन में युवाओं की भागीदारी की व्यवस्था तैयार करना बेहद जरूरी है। युवा राष्ट्र का भविष्य हैं और उन्हें स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें प्रभावी नीति-निर्माता बनने तथा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्षम बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

उद्‌देश्य 5 : जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता करना तथा सभी वंचित एवं उपेक्षित युवाओं को समता-मूलक अवसर उपलब्ध कराना

इस युवा आबादी के कुछ वर्गों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इन वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े युवा, महिलाएं, विकलांग युवा, वामपंथी उग्रवाद सहित संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले युवा, नशे की लत, अवैध मानव व्यापार या खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करने के कारण जोखिमग्रस्त युवा शामिल हैं। यह आवश्यक है कि सरकारी नीतियाँ समावेशी हों तथा सभी को उचित अवसर प्रदान करती हों। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इन युवाओं को कलंक या भेदभाव का शिकार न होना पड़े और युवाओं के सभी वर्गों के साथ सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें न्याय का उचित अवसर प्राप्त हो।

प्राथमिकता क्षेत्र

इन पाँचों उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों में कार्य करने की जरूरत होगी। आगे दर्शाई गई सूची में उन 11 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें कार्य करना उपर्युक्त पाँचों उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

एग्जिबिट ई-5 : राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के उद्देश्य एवं प्राथमिकता क्षेत्र

उद्देश्य	प्राथमिकता क्षेत्र
1. भारत के आर्थिक विकास में स्थायी योगदान कर सकने वाली उत्पादक श्रम शक्ति तैयार करना	1. शिक्षा
	2. रोजगार और कौशल विकास
	3. उद्यमशीलता
2. भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी का विकास करना	4. स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली
	5. खेल
3. राष्ट्र को अपना मानने की भावना विकसित करने के लिए सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देना तथा सामुदायिक सेवा को बढ़ावा	6. सामाजिक मूल्यों का संवर्धन
	7. सामुदायिक सहभागिता
4. शासन के सभी स्तरों पर भागीदारी तथा सामाजिक सहभागिता	8. राजनीति और शासन में भागीदारी
	9. युवा सहभागिता
5. जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता करना तथा सभी वंचित एवं उपेक्षित युवाओं को समता-मूलक अवसर उपलब्ध कराना	10. समावेशन
	11. सामाजिक न्याय

अगले खंड में प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्र की विस्तार से जाँच की गई है।

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र **1:** शिक्षा

4.1.1 वर्तमान स्थिति

आर्थिक विकास में योगदान करने वाली उत्पादक युवा श्रम शक्ति तैयार करने के लिए युवाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए तथा स्थायी आजीविकाओं के लिए उन्हें आवश्यक कौशल सिखाए जाने चाहिएं। सभी युवा एक जैसे नहीं होते हैं तथा शिक्षा संबंधी उनकी आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए स्कूली शिक्षा प्राप्त न कर रहे तथा बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ देने वाले युवाओं के लिए एक जैसी नीतियाँ नहीं अपनाई जा सकती हैं, क्योंकि शिक्षा पाने को इच्छुक लेकिन स्कूल में दाखिला न ले पाने वाले युवा स्कूली शिक्षा छोड़कर श्रम बाजार में भागीदारी करने को इच्छुक युवाओं से भिन्न हैं। अतः, विभिन्न वर्गों के युवाओं के लिए अलग से तैयार और लक्षित नीतियों की जरूरत है। इसके अतिरिक्त विकलांग युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों जैसे विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले युवा भी हैं, जिनके लिए ऐसी विशेष नीतियों की जरूरत है, जिनसे उन्हें शिक्षा प्रणाली के उचित लाभ प्राप्त करने के अवसर मिल सकें। युवाओं के लिए शिक्षा के महत्त्व और युवाओं की विषमताओं को समझते हुए, सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने तथा विभिन्न वर्गों के युवाओं के लिए उपयुक्त नीतियाँ तैयार करने पर बहुत जोर दिया है।

भारत सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से कई नीतियाँ कार्यान्वित की हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा की क्षमता बढ़ाने, साक्षरता और बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने, प्रशिक्षित अध्यापकों इत्यादि के संवर्ग तैयार करने के उद्देश्य से योजनाएं चलाई जा रही हैं।[6] पाठ्यचर्या में सुधार, उच्चतर शिक्षा के विनियमन तथा गुणवत्ता में सुधार पर भी काफी जोर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रणाली से तैयार होने वाले स्नातक रोजगार पाने के योग्य हों। उच्चतर शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(आरयूएसए) नामक नई योजना की संकल्पना तैयार की है, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता, उपलब्धता और समावेशन के मुद्दों का समाधान मिशन मोड में करना

---

[6]माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी नीतियों की पूरी सूची मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट ehttp://mhrd.gov.in/schemes_home पर देखी जा सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालय भी कुछ प्राथमिकता-प्राप्त वर्गों के युबाओं के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों जैसी लक्षित योजनाएं चला रहे हैं।.

है। इसके अतिरिक्त मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा पाने के लिए बैंकिंग प्रणाली शैक्षणिक ऋण दे रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को दिए जाने वाले शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी भी देता है।

इसके अतिरिक्त सरकार, सामाजिक संगठन और निजी क्षेत्र छात्रों को सीधे शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करते रहे हैं, सरकारी नीतियों का मूल्यांकन एवं प्रणाली में जवाबदेही का संवर्धन करते रहे हैं। सरकार, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र के इन समन्वित प्रयासों के सकारात्मक लाभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में जीईआर बढ़ना शामिल है।

तथापि युवा शिक्षा की चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। बारहवीं योजना में शिक्षा नीति में ऐसे कार्यनीतिक बदलाव निर्धारित किए गए हैं, जिनसे युवा विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन बदलावों में प्रारंभिक शिक्षा के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा तक ले जाने पर जोर देना, जहाँ काफी रुकावट देखी गई है, आजीवन शिक्षण को सहायता देने वाली प्रणाली विकसित करना, शिक्षा का व्यावसायीकरण करना तथा कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल हैं।

4.1.2भावी आवश्यकताएं

आगे प्रणाली में (i)क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास करना तथा (ii)कौशल विकास एवं आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना ही युवा शिक्षा के संवर्धन की दो प्रमुख प्राथमिकताएं होनी चाहिएं।

(क) प्रणाली में क्षमता और गुणवत्ता का विकास करना : माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के संबंध में 12वीं योजना की प्राथमिकताओं का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है (क) उपलब्धता बढ़ाना, (ख) समानता सुनिश्चित करना, (ग) इनपुट और आउटकम की गुणवत्ता में सुधार करना तथा (घ) पहले से अधिक सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

- शिक्षा की उपलब्धता और समानता बढ़ाने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में **क्षमता सुधार** किया जाना चाहिए। इन सुधारों में वास्तविक बुनियादी ढांचे को सुधारना, अपेक्षाकृत कम शैक्षणिक नामांकनों और आउटकम वाले क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बढ़ाना तथा अध्यापक चयन एवं भर्ती कार्यक्रमों में वृद्धि करना शामिल हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक

शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में अपेक्षाकृत छोटी योजनाओं को शामिल करके इस अभियान को माध्यमिक शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम बनाया जा रहा है[7]। आरएमएसए में निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा योजनाओं के उद्देश्य आंशिक तौर पर या पूरी तरह भुला न दिए जाएं तथा वंचित वर्गों और क्षेत्रों के युवाओं का कारगर ढंग से मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसी प्रकार मौजूदा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की क्षमताओं के विस्तार की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो।

- छात्रों संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए अनेक **गुणवत्ता सुधार** कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम, पाठ्यचर्या सुधार, संशोधित छात्र मूल्यांकन मानक तथा स्कूलों और कालेजों को मान्यता प्रदान करना शामिल हैं। मौजूदा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों की सफलता की समीक्षा करना, निष्प्रभावी सिद्ध हुई कार्यनीतियों में संशोधन करना तथा सफल कार्यक्रमों को और व्यापक बनाना बेहद जरूरी है।
- शिक्षा प्रदान करने के कार्य में **सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित** करना जरूरी है। नए पीपीपी माडलों की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है तथा उपयुक्त विनियमन प्रणालियाँ, मान्यता प्रदान करने की प्रक्रियाएं, नीतियाँ तथा प्रोत्साहन व्यवस्थाएं विकसित की जानी चाहिएं, ताकि निजी शिक्षा प्रदाता माध्यमिक शिक्षा का निरंतर विस्तार और सुधार करने की चुनौती का सामना कर सकें।

[7]जैसे कि माध्यमिक चरण में विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा योजना, भाषा अध्यापकों की नियुक्ति इत्यादि। पूरी सूची 12वी पंचवर्षीय योजना में देखी जा सकती है।

- **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण की व्यवस्थाएं विकसित की जानी चाहिएं।** निशुल्क शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने या कुछ छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सरकार कराधान के माध्यम से संसाधनों की उगाही करेगी। अन्य विकल्पों में प्रत्यक्ष मांग के आधार पर सब्सिडी एवं छात्रों के लिए आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति के माध्यम से किया जाने वाला वित्तपोषण या सस्ते ऋण शामिल हैं। शिक्षा के वित्तपोषण की सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्थाएं निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिएं।

(ख) कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना : यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली ऐसे अर्हता-प्राप्त व्यक्ति तैयार करे, जो स्वयं अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अपने कौशलों को विकसित करने में सक्षम हों।

- कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देने वाली महत्त्वपूर्ण व्यवस्था का अर्थ औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों, साक्षरता और बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों जैसी **प्रणालियों के बीच पारस्परिक संबंध** विकसित करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) जैसे मानकीकृत अर्हता फ्रेमवर्क तथा व्यक्ति को विभिन्न शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों की अर्हता प्राप्त करने के साधन तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए छात्र के प्रमाणन और संस्थाओं का सत्यापन करके मान्यता प्रदान करने संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार करना भी आवश्यक था। इससे व्यक्ति एक शिक्षण प्रणाली को छोड़ दूसरी प्रणाली में शामिल होकर अपने विकास और नियोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त कौशल सीख सकेंगे तथा अर्हता प्राप्त कर सकेंगे।
- शिक्षा प्रणाली में लचीलापन बढ़ाने तथा सामुदायिक कालेज डिग्री, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अंतरित किए जा सकने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण क्रेडिट इत्यादि जैसी

नई प्रकार की शिक्षा शुरू करने की कई योजनाएं हैं। तथापि, 15 से 24 वर्ष तक की आयु के **युवाओं की शिक्षा को नियंत्रित करने वाली कोई व्यापक नीति या समन्वय फ्रेमवर्क** नहीं है। इसे विकसित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों तथा उनमें प्रणाली में सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया गया हो।

***

4.2 प्राथमिकता क्षेत्र 2 : रोजगार और कौशल विकास

4.2.1 वर्तमान स्थिति :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि युवा रोजगार पाने के योग्य हों तथा श्रम की मांग व आपूर्ति के बीच कोई अंतर न आने पाए, युवाओं को ऐसे कौशल सीखने चाहिएं, जो रोजगार संबंधी जरूरतों के अनुरूप हों। औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विशेषीकृत कौशल प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार जैसे उपायों से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि युवाओं को उनके कौशलों के अनुरूप पर्याप्त आय-अर्जन के अवसर प्राप्त हो सकें। साथ ही राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों को भी परिभाषित किए जाने और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को ऐसे मानकों के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपेक्षाकृत कम कुशल व्यक्तियों के लिए दो उद्देश्यों वाला दृष्टिकोण अपनाया है अर्थात (i)कौशल विकास में मदद देना और (ii)प्रत्यक्ष रोजगार कार्यक्रम चलाना।

भारत सरकार ने कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता मान लिया है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास का संस्थागत आधार तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2008 की शुरुआत में तीन स्तरों वाली संस्थागत संरचना स्थापित की गई थी, जिसमें प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद(एनसीएसडी), राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड(एनएसडीसीबी) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी) शामिल हैं। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनएसडीपी) शुरू की, जिसमें वर्ष 2020 तक 500 मिलियन लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जून, 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) बनने पर अब इसी में एनसीएसडी, एनएसडीसीबी तथा प्रधान मंत्री के कौशल विकास सलाहकार कार्यालय को शामिल कर लिया गया है। एनएसडीए एक स्वायत्त निकाय है, जो 12वीं योजना तथा उसके बाद के लक्ष्यों की प्राप्ति के सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों के बीच समन्वय एवं तालमेल स्थापित करेगा तथा कौशल विकास में सामाजिक, क्षेत्रीय, महिला-पुरूष और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयास करेगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास तथा रोजगार के क्षेत्र में कई नई पहल की हैं। उदाहरण के लिए उक्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उन्नत प्रशिक्षण संस्थान तथा व्यावसायिक

प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उक्त मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के मूल्यांकन और प्रमाणन की मानक प्रणाली स्थापित की है तथा पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के कार्य में उद्योगों की सहायता ली जा रही है। रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से चलाई जा रही राष्ट्रीय रोजगार सेवा का आधुनिकीकरण करके इसे राष्ट्रीय कैरियर सेवा बनाया जा रहा है तथा शिक्षुता व्यवस्था में भी काफी सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार नीति भी तैयार कर रहा है।

इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय भी हिमायत नामक योजना चला रहा है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर में युवाओं को उन क्षेत्रों का त्रैमासिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनकी मांग नियोक्ताओं में बहुत ज्यादा है, तथा प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिलाया जाता है और रोजगार मिलने के बाद दी जाने वाली सहायता भी दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरएलएम कार्यक्रम में भी ग्रामीण स्व-रोजगार के लिए आवश्यक कौशल सिखाने पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय बैंक संघ ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए माडल शैक्षणिक ऋण योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए ऋण दिए जाते हैं।

भारत सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार योजनाएं भी शुरू की हैं, जिन क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर सीमित हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत श्रम सघन कार्यों में मजदूरी करने को इच्छुक सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। कम कुशल व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाना तथा ईबीआर, एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में भर्ती करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना प्रमुख चुनौती है।

4.2.2 भावी आवश्यकताएं

कौशल विकास प्रणाली में सुधार की भावी प्राथमिकताएं 12वीं योजना में सूचीबद्ध की गई हैं। इन प्राथमिकताओं में पीपीपी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) कार्यान्वित करना, संस्थागत संरचना में सुधार करना, क्षेत्रीय समानता और प्रसार बढ़ाना तथा शिक्षुता कार्यक्रम में सुधार करना शामिल हैं। तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है, जिनमें (क) यह सुनिश्चित करना कि युवाओं को कौशल

विकास के अवसरों का लाभ मिले, (ख) स्टेकहोल्डरों की भूमिकाओं को स्पष्टतः परिभाषित करना, तथा (ग) प्रणालियों तथा स्टेकहोल्डरों के बीच तालमेल का विकास करना शामिल हैं।

क) लक्षित युवा प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम : कौशल विकास के तत्वावधान में आने वाले सभी कार्यकलापों में एनएसडीपी का युवा और प्रयोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण शामिल किया जाना चाहिए।

- **युवाओं को लक्षित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए** ,जो कि उन्हें उपलब्ध कौशल विकास और प्रशिक्षण के विभिन्न विकल्पों के विषय में हो। संस्थाओं की गुणवत्ता की जानकारी ,उदाहरण के लिए कार्यक्रम के बाद रोजगार दिलाने के स्कोरकार्ड ,पाठ्यचर्या के बेंचमार्क इत्यादि की आवश्यकता है और युवाओं को कौशल विकास के लाभ के विषय में मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। युवाओं को कार्यक्रम के बाद रोजगार के विकल्पों संबंधी आंकड़े जरूर मिलने चाहिएं[8]। युवाओं को सस्ते ऋणों ,कार्यक्रम के बाद रोजगार से जुड़े भुगतान के विकल्पों इत्यादि के रूप में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सहायता पैकेजों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- युवाओं को जानकारी प्रदान करने के लिए **सर्वाधिक उपयुक्त नियोजन व्यवस्था का निर्धारण** जरूरी है। युवा प्रसार कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता की निगरानी की जानी चाहिए तथा निरंतर लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियों में अपेक्षित बदलाव किए जाने चाहिएं।

ख) विभिन्न प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच संयोजन विकसित करना : शिक्षा प्रणाली तथा रोजगार बाजार के साथ कौशल विकास के समेकन को देखते हुए, विभिन्न प्रणालियों तथा स्टेकहोल्डरों के बीच संयोजन विकसित करना आवश्यक है।

- **प्रशिक्षण संस्थाओं और नियोक्ताओं के बीच** संयोजन विकसित किया जाना चाहिए। नियोक्ताओं को प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के लिए इनपुट प्रदान करने चाहिएं, ताकि यह

---

[8] 12वीं योजना में क्षेत्र-वार आधार पर तात्कालिक जानकारी प्रदान करने के लिए श्रम बाजार सूचना प्रणाली प्लेटफार्म स्थापित करने की सिफारिश की गई है, ताकि प्रशिक्षुओं को सर्वाधिक उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन करने में मदद मिल सके।

सुनिश्चित किया जा सके कि युवाओं के कौशल श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप हों। इसी प्रकार प्रशिक्षण संस्थाओं को नियोक्ताओं से तालमेल करके छात्रों को कार्यक्रम के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिएं।

- **शिक्षा प्रणाली तथा कौशल विकास संस्थानों के बीच** संयोजन विकसित किया जाना चाहिए, ताकि ओओएस व्यक्ति जाब-रेडी कौशल सीख सकें और आगे चलकर जब चाहें तब वापस औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल हो सकें। एनएसक्यूएफ कार्यान्वित करने और विश्वविद्यालय की डिग्रियों और डिप्लोमाओं से बराबरी की प्रणाली विकसित करने से ही यह संभव होगा।
- **क्षेत्र-वार कौशल परिषदों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच** संयोजन विकसित किया जाना चाहिए। इससे व्यावसायिक मानक परिभाषित करने, नियोक्ता की जरूरत के क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना करने और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने की सक्रिय और प्रगतिशील प्रतीत होने वाली प्रक्रिया तैयार होगी।

ग) सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका परिभाषित करना : कौशल विकास के पैमाने और युवाओं की रोजगार की जरूरतों को देखते हुए, गैर-सरकारी स्टेकहोल्डरों को सभी नीतियों के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। सभी स्टेकहोल्डरों की स्पष्ट भूमिकाएं परिभाषित की जानी चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित कमियों की पूर्ति हो रही है।

- वित्त-पोषण के संबंध में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस पूरी कौशल विकास व्यवस्था के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से वित्त-पोषण सहायता लेने की जरूरत होती है। सरकार को सीधे संस्थाओं अथवा छात्रों का वित्त-पोषण करना चाहिए तथा निजी वित्त-पोषण और नए छात्र ऋण पैकेज तैयार करने के लिए अनुकूल परिवेश भी तैयार करना चाहिए।

- प्रदायगी की दृष्टि से सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि उसके धन का सर्वाधिक प्रभावी उपयोग किस तरीके से होगा। विकल्पों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के माध्यम से क्षमता विकास में निवेश करना या प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में निवेश करके वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य निजी क्षेत्र पर छोड़ देना शामिल हैं।

उपर्युक्त उपाय करते समय कौशल विकास और रोजगार के संबंध में महिलाओं की जरूरतों पर उचित ध्यान देना जरूरी है। युवतियों का सशक्तीकरण संपूर्ण युवा सशक्तीकरण का महत्त्वपूर्ण पहलू है। इसी प्रकार अन्य वंचित वर्गों के युवाओं की कौशल विकास और रोजगार संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

***

4.3 प्राथमिकता क्षेत्र 3 : उद्यमशीलता

4.3.1 वर्तमान स्थिति

युवाओं को भारत के आर्थिक विकास में उत्पादक योगदान करने के योग्य बनाने के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। फिलहाल लगभग 50% श्रम शक्ति स्व-नियोजित है[9], और 70 मिलियन लोग एसएमई में नियोजित हैं, जो कि संपूर्ण श्रम शक्ति का लगभग 15% है। कौशल विकास पर जोर दिए जाने से कुशल व्यक्तियों की संख्या और श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ने पर उद्यमियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।

ऐसा अनुकूल परिवेश तैयार करने के उद्देश्य से, जिसमें युवा स्व-रोजगार और उद्यमशीलता के स्थायी अवसर उत्पन्न कर सकें, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें उपक्रमों की योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने और उपक्रमों को परिपक्व बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रारंभिक सहायता तथा वित्त-पोषण उपलब्ध हो।

भारत सरकार उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्त-पोषण उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं तथा कार्यक्रम चला रही है[10]। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय(एमओएसएमई) द्वारा चलाया जा रहा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी) ऋण से जुड़ी सब्सिडी की सबसे बड़ी योजनाओं में शामिल है। इस योजना के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उद्यमी उपक्रम लगाने की लागत के लिए वित्त-पोषण किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन(एनआरएलएम) ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम चला रहा है, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक प्रयोजनों के लिए पूँजी की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। व्यवसाय की योजना सोचने, तैयार करने, ऋण प्राप्त करने और योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों की मदद करने के लिए एनआरएलएम के तहत सूक्ष्म-उद्यम परामर्शदाताओं (एमईसी) के संवर्ग को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरएसईटीआई) स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

---

[9] रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

[10] कई मंत्रालय. लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनमें लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल हैं। यहाँ सूचीबद्ध दो योजनाएं उद्यम लगाने के आकांक्षी उद्यमियों को उपलब्ध सहायता का स्वरूप दर्शाती हैं।

भारत सरकार की ये योजनाएं उद्यम शुरू करने की आकांक्षा रखने वालों की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति करने के लिए शुरू की गई हैं और भारत में उद्यमशीलता के विकास के लिए ये योजनाएं जरूरी हैं। ये योजनाएं जनसमुदाय के अपेक्षाकृत बड़े वर्ग को ऋण सुलभ कराने, उद्यमशीलता के बुनियादी साधन प्रदान करने तथा उद्यमशीलता के सृजन एवं संवर्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में ज्यादा सफल रही हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि एनआरएलएम एमईसी कार्यक्रम में देखा गया, केवल सस्ते ऋण उपलब्ध कराने या अल्पकालिक उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने की बजाए उद्यमियों की जरूरतों की पूर्ति हेतु पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए इन योजनाओं की रूपरेखा में बदलाव किए जा रहे हैं। तथापि, मौजूदा योजनाओं की जाँच से पता चलता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें सुधार करके इन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

4.3.2 भावी आवश्यकताएं

ऐसे चार क्षेत्र हैं, जहाँ युवा उद्यमियों को और ज्यादा सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा उद्यमशीलता कार्यक्रमों में सुधार किए जा सकते हैं। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं (क) प्रसार और जानकारी का प्रावधान, (ख) पैमाना और समावेशन, (ग) कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रासंगिकता तथा (घ) निगरानी और मूल्यांकन।

क) लक्षित युवा प्रसार कार्यक्रम : युवाओं को उन विभिन्न उद्यमशीलता योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, जिन योजनाओं में वे शामिल हो सकते हैं, ताकि वे सही विकल्प का चुनाव कर सकें।

- उपर्युक्त जानकारी देने का एक तरीका तो यह है कि विभिन्न योजनाओं और उनमें से प्रत्येक के लाभ के विषय में **लक्षित सूचना कार्यक्रम** युवाओं के लिए तैयार किया जाए। यह जानकारी प्रदान करने के लिए जिस राष्ट्र-व्यापी नेटवर्क की सहायता ली जा सकती है, उस नेटवर्क का नाम है नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के स्वयंसेवक। विभिन्न योजनाओं की जानकारी का जमीनी स्तर पर प्रचार करने के लिए विवरणिकाएं तथा जानकारियाँ इन स्वयंसेवकों को दी जानी चाहिएं।

- **पीएमईजीपी के कार्यान्वयन माडल में जागरूकता शिविरों के माध्यम से प्रसार शामिल है** और इन शिविरों में शुरू की जा सकने वाली परियोजनाओं के स्वरूप के विषय में प्रचार सामग्री बाँटी जाती हैं, संभावित प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम से स्नातक होने वाले सफल उद्‌यमियों से मिलाया जाता है तथा प्रतिभागिता के लाभ के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए एनवाईकेएस स्वयंसेवकों तथा जमीनी स्तर के अन्य संगठनों की सहायता ली जाती है। यह जानने के लिए इस माडल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या यह माडल इतना प्रभावी है कि इसका अनुकरण किया जा सकता है।

ख) क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना : भारत सरकार के विभिन्न उद्‌यमशीलता कार्यक्रमों के पैमाने और बजट में काफी अंतर है[11]। यह आवश्यक है कि विभिन्न उद्‌यमशीलता विकास और प्रशिक्षण संस्थानों का पर्याप्त क्षमता विकास किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उद्‌यमशीलता के वित्त-पोषण की योजनाओं का बजटीय आबंटन संभावित मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो।

- **मौजूदा योजनाओं की समीक्षा इस उद्‌देश्य से की जानी चाहिए** कि न केवल अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता निर्धारित की जाए, बल्कि इन योजनाओं के भौगोलिक और जनसांख्यिकीय प्रसार को भी समझा जाए। भारत सरकार राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों और निजी भागीदारों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में भी इन योजनाओं का विस्तार करने का प्रयास कर सकती है, जिन क्षेत्रों में फिलहाल इन योजनाओं की पहुँच बहुत सीमित या बिल्कुल भी नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेषकर सामाजिक-आर्थिक कारकों, विकलांगता, महिला होने के कारण या अन्य कारणों से वंचित युवा भी इन योजनाओं में पूरी भागीदारी कर सकें।

---

[11]एमएसएमई के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज(आरएफडी) में उल्लिखित है कि एमओएसएमई द्‌वारा चलाए जा रहे उद्‌यमशीलता विकास कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2009-10 में 2.9 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। पीएमईजीपी से 2.67 लाख लोगों को रोजगार मिला तथा राजीव गाँधी उद्‌यमी मित्र योजना(आरजीयूएमवाई) से पहली पीढ़ी के 4000 उद्‌यमियों को सहायता प्राप्त हुई।

- **यह समझने के लिए विभिन्न शिक्षुता माडलों पर विचार किया जाना चाहिए** कि सफल उद्यमी कैसे आकांक्षी युवा उद्यमियों में आवश्यक कौशल, अनुभव और 'व्यवसाय संबंधी' संपर्क सूत्र विकसित करने में उनकी मदद कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सफल रहे जर्मनी जैसे देशों के अनुभव से काफी कुछ सीखा जा सकता है।

ग) युवा उद्यमियों के लिए कस्टमाइज्ड कार्यक्रम तैयार करना :

चल रही उद्यमिता प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा की जा सकती है और इन्हें सुदृढ़ किया जा सकता है। दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता और युवाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता का आकलन करने की भी जरूरत है।

- अपने-अपने जनसांख्यिकी प्रोफाइल, कौशल, अनुभव और व्यावसायिक विचारों के मायने से उद्यमी एक गैर-सदृश समूह हैं। पाठ्यक्रम की समीक्षा तथा युवा विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करने या इसके संभावित कस्टमाइजेशन की जरूरत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन से प्रमाणित होती है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि हालांकि आरएसईटीआई प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है, पहली पीढ़ी के छोटे उद्यमियों की औसत आयु 40 वर्ष है और अपेक्षाकृत अधिक उम्र के प्रशिक्षु स्व-रोजगार में तेजी से लिप्त हो जाते हैं।

- व्यावसायिक आयोजना और निष्पादन की दृष्टि से ऐसे युवा भागीदारों जिनमें उद्यमी बनने हेतु आत्मविश्वास, राशि और संपर्कों की कमी है को **कार्यक्रम के पश्चात विशिष्ट सहायता** दी जा सकती है जिनमें अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सके। एनआरएलएम तथा स्व-रोजगार के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत इसे शुरू किया जा सकता है।

घ)व्यापक निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली क्रियान्वित करना : इस बात की आवश्यकता है कि योजनाओं में सुदृढ़ निगरानी, डाटा एकीकरण और मूल्यांकन तंत्र हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाली आबादी के कतिपय लोगों के हित पूरे हो रहे हैं।

- एमएसएमई 'सर्वे, अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान की योजना' मॉडल की समीक्षा की जा सकती है और इसके सफल साबित होने पर अन्य मंत्रालय योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (PEO) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (PEO) से उचित सहायता प्राप्त करके इसे अपना सकते हैं।

***

4.4 प्राथमिकता क्षेत्र 4 : स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली

4.4.1 वर्तमान स्थिति :

स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है और सभी व्यक्तियों के पास उसके वहन योग्य स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों में कमी और खराब स्वास्थ्य की वजह से आमदनी से ज्यादा खर्च ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना युवा सहित आबादी के सभी वर्गों को करना होता है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछेक युवा विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं जिनके लिए लक्षित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इनमें (क) अनियमित जीवनशैली की वजह से युवा वयस्कों को होने वाली गैर-संक्रामक बीमारियों अर्थात मोटापा, कार्डिओवैस्कुलर रोग, मधुमेह, स्ट्रोक, फेफड़े की गंभीर बीमारी, कैंसर इत्यादि का सामना करने के लिए युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया जाना। (ख) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन, गर्भ-निरोध, एसटीडी, एचआईवी/एड्स और नशीले पदार्थों का सेवन के बारे में जानकारी फैलाना और (ग) किशोर युवकों के मामले में भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य (उदाहरण के तौर पर डिप्रेशन तथा आत्महत्या के संभावित प्रयासों का जोखिम) से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाना शामिल है।

स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी व्यवस्था को पर्याप्त ढंग से बेहतर बनाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए वित्तपोषण को तिगुना कर दिया गया है। 12वीं योजना के तहत जन स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया गया है कि ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए सर्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इस संदर्भ

में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, निजी क्षेत्र के समूहों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनेक पहलें की गई हैं।

मुख्य उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- मुख्यत: जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), विश्वसनीय सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशा) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएलएम) से प्राप्त सहायता से प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं के सफल होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी आई है।

- पोलियो उन्मूलन की दिशा में भारत ने भारी सफलता हासिल की है।

- रोग नियंत्रण उपायों के कारण देश में एचआईवी/एड्स संक्रमण के मामले में 57 प्रतिशत की कमी आई है।

- राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 70 प्रतिशत मामले की जांच दर और उपचार में 85 प्रतिशत सफलता दर के लक्ष्य को हासिल कर पाने में समर्थ रहा है।

- गैर-संक्रामक रोगों के संबंध में, कैंसर, मधुमेह, सीवीडी और स्ट्रोक्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह और हाइपरटेंशन की जांच शुरू की गई है।

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत एम्स जैसे 6 संस्थानों की स्थापना किए जाने और 13 मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किए जाने से मेडिकल प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधा बढ़ी है। राज्य सरकार स्तर के 72 मेडिकल कॉलेजों को भी सुदृढ़ किया गया है।

इन कार्यक्रमों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के बावजूद विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में उपलब्धियों में अंतर है और अनेक लक्ष्य अधूरे हैं। सभी स्तरों पर सेवा प्रदायगी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

4.4.2 भावी आवश्यकताएं

क) उन्नत सेवा प्रदायगी : सर्वव्यापी स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सबसे पहले बुनियादी स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं बहाल करना अनिवार्य है।

- देश भर में व्यक्तियों के लिए विशेषकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के **स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख की पर्याप्त सुविधा** सृजित की जाएगी। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख (पीएचसी) सुविधाओं के प्रभाव की समीक्षा करने की जरूरत होती है और जहां कहीं मौजूदा कार्यनीतियां अप्रभावी सिद्ध होती हैं वहां कार्यान्वयन के दौरान ही सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- मेडिकल कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार करते हुए **डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का एक विशाल प्रशिक्षित पूल** बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इस व्यवस्था में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। आंगनबाड़ी कर्मियों, आशा कर्मियों और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों को हब के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। प्रशिक्षण केंद्रों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से अत्यधिक बोझ से दबे सरकारी तंत्र और संसाधनों को मदद मिल सकती है।

- **महिला युवतियों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों** पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसमें 14-18 वर्ष की नाजुक उम्र में महिलाओं के लिए प्रसव-पूर्व और प्रसव के पश्चात देख-रेख करने, मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, बाल लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाने इत्यादि की आवश्यकता होगी।

ख) युवाओं के लिए लक्षित जागरूकता कार्यक्रम : स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के अलावा स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर लक्षित जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे। युवाओं को उत्तम पोषण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की शिक्षा दी जाएगी। युवकों को निरोधी स्वास्थ्य देख-रेख के लाभों के बारे में

जानकारी दी जाएगी। युवाओं को ड्रग्स/नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दिए जाने की जरूरत है। विद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषण को शामिल करने से इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। मौजूदा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(पीएचसी) सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र और गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में अपनी व्यापक पहुँच के जरिए इस संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार की जागरूकता सृजित करने में, बढ़ते हुए किशोर(सक्षम योजना के अंतर्गत) और एनएसएस एवं एनवाईकेएस के अंतर्गत युवा स्वयंसेवी भी अत्यंत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

ग) युवाओं के लिए लक्षित रोग नियंत्रण कार्यक्रम : युवाओं में जानकारी की कमी और निरोधात्मक देख-रेख की कम सुविधा की वजह से एचआईवी/एड्स और टीबी होने का खतरा बना रहता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय जागरूकता और उपचार कार्यक्रम तैयार करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। रोग की जांच, नियंत्रण और जागरुकता कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने के लिए एनआरएचएम, एनएसीपी और मौजूदा एनजीओ कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है। विशेष रूप से गर्भवती और उच्च जोखिम वाले अन्य समूहों के लिए संक्रामक रोगों की जांच और उपचार के लिए संवर्धित क्षमता का विकास किया जाएगा।

***

4.5 प्राथमिकता क्षेत्र 5 : खेल

4.5.1. वर्तमान स्थिति

खेल और मनोरंजक क्रियाकलाप युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास का एक अनिवार्य घटक है। खेलों से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। इससे स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि युवक सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और समाज के लिए लाभदायक हैं। खेलों में भाग लेने से प्रतिस्पर्धा और मिलजुल कर कार्य करने की भावना पनप सकती है जिससे युवाओं के समग्र विकास में मदद मिलती है। खेलों को उत्तरोत्तर रूप से एक व्यवहार्य पेशेवर विकल्प के रूप में भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व करने से राष्ट्र का गौरव बढ़ता है और युवाओं में अपनापन और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने में मदद मिलती है।

न केवल सरकार ने बल्कि खेल संघों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों ने भी युवाओं के विकास में साहसिक खेलों सहित खेलों की भूमिका को स्वीकार दिया है। ये संगठन कुल मिलाकर युवाओं को खेल संबंधी बुनियादी सुविधाएं, कोचिंग और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और एक अनुकूल माहौल बनाने पर विशेष ध्यान देते हैं। कुछ विशिष्ट नवीन पहलें इस प्रकार हैं :

- **खेलों को मजबूत आधार प्रदान करना :** सरकार शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रो में खेलों और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हुए खेल को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस कार्य को पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) (जिसे अब राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) कहा जा रहा है), नेशनल प्लेईंग फील्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनपीएफएआई) और विभिन्न स्तरों पर शहरी आधारभूत सुविधाओं के सृजन की योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। आरटीई अधिनियम में भी सभी विद्यालयों में खेल के मैदानों और क्रीड़ात्मक सुविधाएं उपलब्ध करने का अधिदेश दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय खेल संघ और राज्य स्तरीय संगठन जैसे संगठन भी कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने, प्रतिस्पर्धा का आयोजन करने, प्रतिभा वाले खिलाड़ियों का चयन करने और उनके विकास में मदद करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स

(एनआईएस) और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन (एलएनआईपीई) खेल के क्षेत्र में स्नातक और परा-स्नातक स्तरों पर शिक्षण पाठ्यक्रम मुहैया कराते हैं।

- **खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना :** खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं और कोचिंग सुविधाओं में निवेश की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रतिनधित्व बढ़ा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी) और साई प्रशिक्षण केंद्र (एनटीई) विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को एक आधार और प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय प्रोत्साहन और अवार्ड प्रदान करती हैं।

4.5.2 भावी आवश्यकताएं

विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा देश में खेल के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के प्रयासों के बावजूद, चीन जैसे देशों की उत्कृष्टता और भागीदारी के स्तरों की बराबरी करने के लिए पर्याप्त प्रगति करनी होगी।

क) खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण को बढ़ाना : विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के निर्धनतम हिस्सों में खेल और शारीरिक शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता अभी भी काफी कम है। खेल संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास और रख-रखाव के प्रति लक्षित पीवाईकेकेए(जिसे अब आरजीकेए कहा जा रहा है) और एनपीएफएआई जैसी योजनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की सहायता से और अधिक सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। विशेषकर विद्यालयों, कालेजों और सामुदायिक क्षेत्रों में खेल के मैदानों का निर्माण करने और खेलों की सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

ख) युवाओं में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना : देश में खेल संबंधी क्रियाकलापों में भागीदारी का वर्तमान स्तर चीन या क्यूबा जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। युवाओं में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। युवाओं को इस तरह से योग्य बनाया जाएगा कि वे

खेलों को केवल एक मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप न मानते हुए इसे जीविका का संभावित विकल्प भी मानें। इसके लिए विद्यालय और कॉलेज स्तरों के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में खेल संबंधी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। राज्य सरकारों, शिक्षा बोर्डों और नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के कार्यक्रमों के स्तर को उठाया जाएगा और इसके बाद ही मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करके औपचारिक शिक्षा प्रणाली में खेलों को समाविष्ट किया जा सकता है।

ग) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए सहायता और उनका विकास : खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा की खोज, कोचिंग, प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी और वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था के लिए एक तटस्थ चैनल तैयार किए जाने की जरूरत है। युवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा और राष्ट्र की खेल प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। इसलिए खेलों और सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के साथ क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का निर्धारण करके उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सक्रिय मॉडल तैयार करना अनिवार्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साई, विभिन्न खेल संघों, राज्य स्तरीय संगठनों और स्थानीय संस्थाओं के साथ समन्वय और सहयोग की जरूरत पड़ती है।

***

4.6. प्राथमिकता क्षेत्र 6 : सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देना

4.6.1 वर्तमान स्थिति

युवा राष्ट्र के भविष्य हैं और आने वाले वर्षों में वे राष्ट्र के अगुवा बन जाएंगे। इसलिए, यह अनिवार्य है कि युवाओं में उच्च स्तर की सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्य हों।

- भारत सजातीयता, धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति की दृष्टि से विविधतापूर्ण देश है। इस विविधता के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक असमानता और उग्रवाद की समस्या भी है जिनमें एक साथ इस समाज को विभाजित करने की क्षमता है। इसलिए, युवावस्था से ही व्यक्तियों में सौहार्द और भाई-चारे की भावना उत्पन्न करना अनिवार्य है।

- आंतरिक नैतिक मूल्य अर्थात करुणा, दया, सहृदयता, सहानुभूति और परानुभूति को विकसित करना भी आवश्यक है। समाज में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इस तथ्य को इंगित करता है कि युवाओं में ईमानदारी और सच्चाई की भावना उत्पन्न करने की सख्त जरूरत है। उन्हें अलग-अलग और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और प्रदूषण के साथ, युवाओं को पर्यावरण की सुरक्षा और बेहतरी के बारे में संवेदनशील बनाना और अन्य सजीव जंतुओं के लिए करुणा की भावना विकसित करना भावी स्थायित्व के लिए अनिवार्य हो चुका है।

- युवाओं को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे देश की परंपरागत कला और संस्कृति का आदर करें। समृद्ध और अनमोल भारतीय कला और संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं को इसके प्रोत्साहन, संरक्षण और अभिग्रहण में सक्रिय रूप से शामिल होना होगा।

नैतिक शिक्षा केवल सरकार और शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी नहीं है। यह परिवार के साथ घर में शुरू होती है और सोसायटी इसमें समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कक्षा में दी गई शिक्षा और सोसायटी की बेहतरी के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों में तैनात करके किसी भी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कुछ विशेष नवीन पहलें इस प्रकार हैं :

- नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने में शिक्षा की भूमिका पर शिक्षण नीतियों में लगातार बल दिया गया है। हाल ही में एनसीईआरटी ने नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क और द फ्रेमवर्क और वैल्यूम एजुकेशन इन स्कूल्स की शुरूआत की है। नैतिक शिक्षा प्रदान करने का विचार सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना के अंतर्गत शुरू किए शिक्षण सुधारों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इस फ्रेमवर्क के विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के लिए व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विद्यालयों की विभिन्न जरूरतों, संदर्भों और संसाधनों के हिसाब से कमरे का कस्टमाइजेशन करना संकेतात्मक है, आदेशात्मक नहीं। एनसीईआरटी ने विद्यालय व्यवस्था में सभी स्तरों पर नैतिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नोडल केंद्र बनाए हैं।

- ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, रक्त दान, टीकाकरण, आपदा प्रबंधन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकलापों में युवकों को काम पर लगाए जाने के लिए राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) एनवाईकेएस और एनसीसी जैसे संगठनों को शामिल किया जाता है। इनमें युवाओं में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने और राष्ट्रीय एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करने की क्षमता है।

- अन्य सरकारी योजनाएं/कार्यक्रम भी हैं जो नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) एक योजना चला रही है जिसके अंतर्गत युवाओं को प्राचीन स्मारकों/स्थलों, संग्रहालयों इत्यादि का भ्रमण कराया जाता है - जो युवाओं को देश की समृद्ध परंपरा की जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। सक्षम योजना (11-18 वर्ष की आयु के किशोर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए), का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ युवाओं के मन में महिलाओं के प्रति आदर की भावना बैठाना और उन्हें राष्ट्र का निर्माण करने वाले क्रियाकलापों में शामिल करना है। इसी प्रकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 'अहिंसा संदेशवाहक' कार्यक्रम में महिलाओं के लिए आदर बढ़ाने और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाता है।

4.6.2 भावी आवश्यकताएं

सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देने और देश के युवाओं में सौहार्द की भावना बढ़ाने के मुद्दे पर ठोस कदम उठाये जाने की जरूरत है।

क) नैतिक शिक्षा को औपचारिक रूप देने की दिशा में किया गया प्रयास : विद्यालयों में नैतिक शिक्षा संबंधी फ्रेमवर्क में विद्यालयों के लिए छात्रों के सर्वांगीण विकास और नैतिक शिक्षा के प्रावधान से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों का खुलासा किया गया है। तथापि, विद्यालय और कॉलेज के सभी स्तरों पर नैतिक मूल्य का प्रशिक्षण देने की औपचारिक प्रणाली तैयार करने और इसे व्यक्तिगत निष्पादन मूल्यांकन का अनिवार्य घटक बनाए जाने की जरूरत है। औपचारिक शिक्षण पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र, सिविल कानून और संहिता पर अधिक जोर दिए जाने की जरूरत है।

ख) युवाओं के लिए विनियोजन कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण : युवाओं में अपनापन, भाईचारा और सौहार्द की भावना उत्पन्न करने में एनएसएस, एनवाईकेएस, एनसीसी जैसे कार्यक्रम काफी सफल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दायरे को बढ़ाए जाने और सुदृढ़ किए जाने तथा युवाओं को नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रदान करने पर अधिक से अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

ग) नैतिकता और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को सहायता : नैतिक शिक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का पूरी तरह समाधान कर पाना सरकार और शिक्षा व्यवस्था के लिए संभव नहीं है। कुल मिलाकर सामाजिक समूह और सोसायटी युवाओं में सामाजिक नैतिक मूल्य और सौहार्द के बारे में बताने और इसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति को इन संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों को बढ़ावा देने और इसमें सहायता प्रदान करने का कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार युवाओं में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान की जाएगी।

***

4.7 प्राथमिकता क्षेत्र 7 : सामुदायिक विनियोजन

4.7.1. वर्तमान स्थिति

आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है जिन्हें सामुदायिक सेवा और विकास कार्यक्रमों के लिए एकजुट किया जा सकता है। एक ओर तो सामुदायिक सेवा स्कीमों में भाग लेकर युवा पिछड़े क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर विकास के लिए किए गए प्रयासों में अपना योगदान देते हैं और वहां की प्रगति में सहायता करते हैं। साथ ही, इन पहलों से युवा में उनके खुद के कौशल अर्थात संप्रेषण, नेतृत्व पारस्परिक संपर्क को बढ़ाने में मदद मिलती है और उनमें नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित होती है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएस) युवाओं को उनके समुदाय के साथ विनियोजित करने और साथ ही जमीनी स्तर पर विकास कार्य में भागीदारी कर पाने में सक्षम बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाता है इनमें से कुछ योजनाएं है- एनवाईकेएस, एनवाईपीएडी और एनएसएस। इन योजनाओं में अलग-अलग युवा वर्गों और भागीदारी का अलग-अलग मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भारत निर्माण स्वयंसेवी (बीएनवी) कार्यक्रम जैसी अनेक सरकारी योजनाएं हैं। बीएनवी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे ऐसे लगनशील स्वयंसेवी हैं जो लोगों को उनके अधिकारों और हकदारियों के बारे में जानकारी देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, एनआरएलएम के अंतर्गत सामुदायिक कर्मियों के सृजित किए गए पद उनके लिए पर्याप्त आय का माध्यम बनने के साथ-साथ उन्हें विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में (पूवोत्तर क्षेत्र सहित) ऐसे अनेक समुदाय-आधारित युवा संगठन हैं जो सामुदायिक विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से लेकर मानव तस्करी को रोकने एवं पुनर्वास करने तक के मुद्दों के संबंध में देशभर में गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठनों, कॉरपोरेट निकायों को उनके सीएसआर कार्यक्रमों तथा सामाजिक उद्यमिता के जरिए विनियोजित किया जाता है। इनमें से अनेक संगठनों में युवा स्वयंसेवी और युवा कर्मचारी हैं।

सामुदायिक विनियोजन को संस्थागत बनाए जाने और योजना की रूपरेखा तैयार करने तथा उन्हें इस प्रकार से स्ट्रीमलाइन बनाए जाने की जरूरत है, ताकि वे गैर-सजातीय युवा आबादी की जरूरतों को पूरा कर सकें।

4.7.2 भावी आवश्यकताएं

क) मौजूदा सामुदायिक विकास संगठनों (सीडीओ) के दायरे को बढ़ाना और उन्हें प्रोत्साहित करना : हालांकि सरकार को ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन को जारी रखना चाहिए जो काफी अधिक सफल रही है, किंतु इससे आगे जाकर उन्हें ऐसे अनेक संगठनों के दायरे को बढ़ाना चाहिए जो कि पहले से ही सामुदायिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे देश में युवा समुदाय को काम पर लगाए जाने का दायरा कई गुणा बढ़ जाएगा तथा इसमें जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं।

- एनजीओ या सीडीओ के प्रत्यायन या प्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। इससे वित्तपोषी एजेंसियों और युवा स्वयंसेवियों को उनकी जरूरतों के आधार पर सबसे उपयुक्त संगठनों को चयन करने में मदद मिलेगी। इससे ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जा सकता है जिनके लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में जिनका रिकार्ड अच्छा है।

- स्वयंसेवी एक्सचेंज मंच तैयार किया जाना चाहिए। इस मंच के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक युवा भारतीयों की पहचान की जा सकती है। इसी प्रकार, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन जिन्हें युवा स्वयंसेवियों या कर्मचारियों की जरूरत है, अपनी जरूरतें पोस्ट कर सकते हैं। इससे संगठनों के साथ स्वयंसेवियों की प्रभावी तरीके से मैचिंग करने में मदद मिलेगी।

- **आपदा से निपटने वाले कार्यकलापों में युवाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाना :** स्थानीय युवा अपनी ऊर्जा और समीपता की वजह से किसी भी प्रकार के बचाव एवं आपदा राहत क्रियाकलाप में अनिवार्य रूप से सबसे पहले आगे आते हैं। मुसीबत के समय मिलजुल कर किया जाने वाला इस प्रकार का क्रियाकलाप न केवल दोस्ताना व्यवहार और नेतृत्व की भावना बढ़ाता है बल्कि इसके साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को

अत्यंत आवश्यक सहारा भी प्रदान करता है। इसमें ऐसी संरचनाएं बनाए जाने की जरूरत है जो कि इस अन्तर्हित संसाधन का उपयोग करे और उपयुक्त प्रशिक्षण के जरिए और साजो-सामान से लैस करके उनकी पूरी क्षमता को काम में लगाए तथा राज्य आपदा राहत तंत्र के प्रयासों के साथ उनके प्रयासों को समन्वित करे। देश के प्रत्येक राज्य और जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अधिदेशित है। सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 में भी संशोधन किए गए हैं ताकि 'आपदा प्रबंधन' को इसके दायरे में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, पंचायतें भी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन तंत्रों के जरिए युवाओं को आपदा से निपटने वाले क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है।

- इसी प्रकार, सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के कार्य में भी युवाओं की अन्तर्हित क्षमता और ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं जो कि स्थानीय स्वशासन में अपनी बढ़ती हुई भूमिका बेहतर ढंग से निभा रही हैं, के जरिए निर्माणकारी क्षेत्रों में भी युवाओं की क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अभियान चलाना और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करना शामिल होगा।

ख) सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना : भारत में ऐसे सामाजिक उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है जिनका यह मानना है कि वे खुद को फायदा पहुंचाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर स्थायी विकास कर सकते हैं। सामाजिक उद्यमिता का दायरा अलग-अलग है और इनमें से अधिकांश अव्यवस्थित हैं तथा सरकार को चाहिए कि वे सामाजिक उद्यमिता के लिए एक सहायक माहौल तैयार करें।

- युवा भारतीयों के लिए रोजगार के आकर्षक प्रस्ताव के रूप में सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने से स्वयंसेवा और लोकोपकार से हटकर स्थायी विकास किया जा सकेगा। इससे सामुदायि विकास का स्वरूप बदल सकता है और युवाओं को अल्पावधि विकल्प के स्थान पर जीविका का स्थायी विकल्प प्राप्त हो सकता है।

- सामाजिक उद्यमियों को प्रारंभिक वित्तपोषण और परोपकारी निवेश के रूप में सहायता की जरूरत होती है। सरकार ऐसी सहायक नीतिगत व्यवस्था बना सकती है जो कि इन निधियों के सृजन में मदद करे। यह समर्थन प्रक्रिया के माध्यम से विश्वसनीय उपक्रमों और पूंजीपतियों के निर्धारण में मदद कर सकती है। वह सहायता अनुदान और अवार्ड कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक उद्यमियों को उनके कार्य निष्पादन के लिए इनाम भी दे सकती है। इन रिकार्डों से युवाओं को सामाजिक उपक्रम में एकजुट किया जा सकता है।

- सरकार सामाजिक उद्यमियों, स्थानीय समुदायों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का माध्यम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सामाजिक उपक्रमों की जनसभाएं बुलाई जा सकती है जिससे सफल मॉडलों के बारे में जानकारी साझा करने, जटिल नीतिगत माहौल में मार्गदर्शन करने में मदद मिल सकती है और इससे उपक्रमों में पूर्वापरक संपर्क को बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक उद्देश्य वाले संगठनों के लिए प्राथमिकता आधार पर उनके कार्य में आने वाली अड़चनों को दूर करने से और अधिक सामाजिक उपक्रम भी तैयार किए जा सकते हैं।

***

4.8. <u>प्राथमिकता क्षेत्र 8 : राजनीति और शासन में भागीदारी</u>

4.8.1. वर्तमान स्थिति

आबादी में 27.5 प्रतिशत हिस्सेदारी युवाओं की है, इस बात को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिनिधित्व किया जाए और वे सभी स्तरों पर राजनीति में हिस्सा ले सकें। युवाओं की भागीदारी और राजनीति, लोकतंत्र, जवाबदेही और शासन संबंधी सभी मुद्दों में उन्हें शामिल करने से देश के भावी नेताओं की एक योग्य पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी।

चूंकि सरकारी योजनाओं की संख्या और लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाले लाभों में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नागरिक वर्ग सक्रिय बने रहे और लीकेज को रोकने में जुटे रहे। 11वीं योजनावधि की तुलना में 12वीं योजनावधि में जमीनी स्तर पर सामाजिक एकजुटता के महत्व पर और जोर देते हुए पीआरआई को दी जाने वाली निधियों में 10 गुणा वृद्धि की गई है और यह राशि 636 करोड़ रु. से बढ़कर 6437 करोड़ रु. हो गई है। काम में लगाया गया नागरिक वर्ग जवाबदेही बढ़ाने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद करेगा और इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मदद मिल सकती है। देश भर में विकास संबंधी परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की जवाबदेही बढ़ाने और इसके कार्यान्वित पर नजर रखने वाले संसाधन के रूप में युवाओं की सेवाएं ली जा सकती हैं।

पंचायती राज मंत्रालय राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत युवाओं और पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी केंद्रीय योजनाओं के संचालन एवं निगरानी में युवा भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप (पीएमआरडीएफ) के माध्यम से युवाओं को देश के आईएपी जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निधियों के उपयोग में सहायता करने के लिए सहयोगित किया गया है। चुनाव आयोग चुनावों में युवा मतदाताओं को पंजीकृत कराने और मत डलवाने के लिए आउटरिच प्रोग्राम चलाता है, और इसके जरिए राजनीति और लोकतंत्र में युवा भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

शासन के निचले स्तरों पर युवा भागीदारी पर विशेष ध्यान दिए जाने और छात्रों एवं युवा राजनैतिक पार्टियों के युवा वर्ग को राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल करने वाले स्पष्ट राजनैतिक प्रोत्साहन के बावजूद राजनीति और शासन में युवा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम समन्वित कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों जैसे मौजूदा कार्यक्रमों में राजनैतिक व्यवस्था में और अधिक युवाओं को शामिल करने की बजाए ऐसे युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो पहले से ही निर्वाचित नेता हैं या किसी और तरह से राजनीति से जुड़े हैं।

सिविल सोसायटी समूह अक्सर सरकार के साथ भागीदारी के माध्यम से इन कमियों को दूर करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तथापि बगैर किसी समन्वित प्रेरणा और स्पष्ट युवा फोकस के ये कार्यक्रम युवाओं को राजनीति के दायरे में लाने और शासन के सभी स्तरों पर जनता को विनियोजित करने की दिशा में शायद ही कोई मदद कर सकें।

4.8.2 भावी आवश्यकताएं

क) राजनैतिक व्यवस्था से बाहर के युवाओं को तैनात करना : इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सभी स्तरों पर राजनीति में युवा की भागीदारी हो।

- ऐसे अनेक **पुश एंड पुल फैक्टर** हैं जो राजनीति में युवा भागीदारी को चलाते हैं। राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से कारगर नीति एवं कार्यक्रम बनाने के लिए इनका विस्तृत मूल्यांकन करने की जरूरत है। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए कारगर कार्यनीति तैयार करने में राजनीति के प्रति युवाओं की सोच को समझना होगा। राजनीति को आकर्षक बनाया जाएगा और राजनीति में भाग लेने वाले युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त रिवार्ड प्रणाली बनाई जाएगी। राजनीति में प्रवेश के समय आने वाले अवरोधों अर्थात अभियान क्रियाकलापों के लिए वित्तीय संसाधन को कम किया जाएगा। छात्र राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति में बदलने के लिए बेहतर माध्यम तैयार किए जाएंगे।

- यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि युवा राजनीति भागीदारी केवल चुनाव लड़ रहे युवाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें युवाओं को अपना मत देने तथा लोकतांत्रिक तंत्रों तथा प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है। युवा मतदाताओं को शामिल करने, उनकी बातों को समझने तथा अपने पसंदीदा उम्मीदवार या दल को अपना मत देने के अल्पावधि तथा दीर्घावधि लाभ देखने में मदद करने के अधिक से अधिक प्रयास करने की भी आवश्यकता है।

ख) ऐसी शासन व्यवस्था तैयार करना जिसका युवा लाभ उठा सकें : सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा ऐतिहासिक कानून है जो साधारण नागरिकों को सरकार के कामकाज को समझने और उनसे सवाल पूछने में सक्षम बनाता है।

- सक्रिय नागरिक वर्ग के महत्व पर जानकारी बढ़ाना आवश्यक है। शिक्षण पाठ्यक्रम को इस तरह से संशोधित किया जाए कि नागरिकशास्त्र घटक और प्रासंगिक बन जाए। युवाओं को उनके लिए उपलब्ध ऐसे विभिन्न माध्यमों की जानकारी होनी चाहिए जिनसे जुड़कर वे सरकारी एजेंसियों से सवाल कर सकें।

- **युवा सरकारी व्यय के क्षेत्र में निगरानी एवं जवाबदेही तय करेंगे तथा सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को संस्थागत बनाया जाएगा।** सार्वजनिक खर्च संबंधी रिकार्ड और अधिक पारदर्शी होंगे तथा आबादी के सभी वर्गों के लिए सुलभ होंगे। 12वीं योजना में सामाजिक प्रेरकों की भूमिका के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है और केंद्रीय प्रयोजित योजनाओं (सीएसएस) की आयोजना और कार्यान्वयन में नागरिक भागीदारी के महत्व को उजागर किया गया है इसमें शासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवंटित समर्पित निधियों के प्रावधान की सूची बनाई गई है और इसे क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाया जाएगा ताकि युवा वर्ग सरकारी खर्च की प्रभाविकता के संबंध में सही जानकारी दे सकें। ग्राम स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए युवाओं को ग्राम सभा/महिला सभा की बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए। अधिकारी वर्ग और नागरिकों के बीच वर्तमान निगरानी और औपचारिक जानकारी का माध्यम भी तैयार किया जाएगा।

ग) शहरी शासन में युवा भागीदारी को बढ़ावा देना : नागरिक वर्ग से जुड़े ग्रामीण शासन तंत्र और पीआरआई के कामकाज पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है। तथापि शहरी शासन में व्यवस्था पर इसी प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की मदद करने में नागरिक वर्ग की भूमिका का अभाव है। बढ़ते हुए शहरीकरण और शहरी जीवन की गुम होती विशेषताओं को देखते हुए सरकार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करें और ऐसे माध्यम एवं प्रक्रियाएं तैयार करें जिनके जरिए युवा भारतीय शहरी निर्णय निर्माताओं के साथ जुड़कर शहरी शासन में अपना योगदान दे सकते हैं।

***

4.9 प्राथमिकता क्षेत्र 9: युवाओं का विनियोजन

4.9.1 वर्तमान स्थिति

युवाओं के साथ भारत सरकार युवाओं संबंधी प्रयासों के दो उद्देश्य हैं। पहले तो सरकारको यह प्रयास करना चाहिए कि युवाओं को जानकारी उपलब्ध कराई जाए और युवाओं के सर्वांगीण विकास में मदद की जाए। उद्देश्य यह है कि, सरकार सीधे युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों, नीतियों और विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी युवाओं से प्राप्त की जाए। युवाओं के संबंधी प्रयासों और उनमें नेतृत्व और अन्य अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास करके सरकार युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार करने में मदद करेगी जो नागरिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रगति के प्रति वचनबद्ध हो।

भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से युवाओं का सर्वांगीण विकास करने और उनमें नेतृत्व का गुण बढ़ाने के उद्देश्य से युवा विनियोजन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। इनमें एनपीवाईएडी, स्काउटिंग एण्ड गाइडिंग, साहसिक खेल योजनाएं इत्यादि शामिल हैं। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट (आरजीएनआईवाईडी) भी युवाओं से जुड़े विभिन्न संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षण देता है और उनकी क्षमता का विकास करता है। भारत सरकार ने आरजीएनआईवाईडी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में बदलने का निर्णय लिया है और फिलहाल इस मामले में कार्रवाई चल रही है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भी युवा विकास निधि की स्थापना कर रहा है जिससे भारत सरकार के युवा विकास प्रयासों के लिए सीएसआर के अंतर्गत निजी क्षेत्र के योगदानों को निर्दिष्ट करने में मदद मिलेगी।

नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्राय: एनवाईकेएस, एनएसएस और एनसीसी जैसी अन्य युवा योजनाओं का गौण लाभ है। विद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण पाठ्यचर्या के जरिए अलग-अलग तरीकों से ये कौशल प्रदान किए जाते हैं।

हालांकि अलग-अलग सफलता वाले कुछेक कार्यक्रम हैं जो युवा के सर्वागीण विकास में मदद करते हैं, फिर भी युवाओं की मदद करने वाले भारत सरकार के सुव्यवस्थित कार्यक्रमों का अभाव है। शैक्षणिक संस्थाओं जैसे मंचों पर नीति निर्माताओं और युवा भारतीयों के बीच कुछ अनौपचारिक वार्ताएं हुई हैं। तथापि, सरकार और युवा नागरिक के बीच विनियोजन के लिए कोई

व्यवस्थित माध्यम नहीं है और न ही युवाओं के लिए सरकार को जानकारी उपलब्ध कराने का कोई तंत्र ही है। कुछ संगठनों ने इस कमी को आंशिक रूप से पूरा किया है। ये संगठन सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विश्लेषण और टिप्पणियां उपलब्ध कराते हैं।

4.9.2 भावी आवश्यकताएं

क) भारत सरकार की विकास योजनाओं की प्रभाविता के लिए किए गए उपाय एवं इनकी निगरानी : युवा कार्य और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की विकास योजनाओं की प्रभाविता का आकलन करने के लिए एनवाईकेएस, एनसीसी और एनएसएस के जरिए जमीनी स्तर के अपने मौजूदा स्वयंसेवी नेटवर्क का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी वर्ग के युवा इन कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सफल प्रयासों को दोहराया जा सकता है और ऐसे वर्गों, जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, के लिए लक्षित योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं।

ख) युवाओं के साथ जुड़ने के लिए मंच तैयार करना : देश भर के युवाओं के साथ जुड़ने के लिए एक व्यवस्थित मंच तैयार करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। इस विनियोजन के अलग-अलग उद्देश्य हैं और इसलिए अलग-अलग विनियोजन मॉडलों का प्रयोग करके इन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

- **युवाओं को जानकारी देने और उनका नियमित 'पल्सचेक'** करने के लिए सरकार को देश के सभी युवाओं के साथ जुड़ना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर युवा मंच, इंटरएक्टिव ऑन लाइन पोर्टल एवं विकिपीडिया-स्टाइल फोरम कुछ ऐसे माध्यम है जिनके जरिए इस कार्य को किया जा सकता है सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए एनवाईकेएस, एनएसएस, गैर-सरकारी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं जैसे सहभागी संगठनों की सेवाएं ले सकती हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती है।
- **विशिष्ट नीतिगत मुद्दों पर जानकारी** प्राप्त करने के लिए सरकार को युवाओं के प्रतिनिधि समूह के संपर्क में रहना चाहिए। सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित चैनलों इत्यादि के जरिए विषयपरक कार्यशालाएं आयोजित करे, नीतिगत नोट की जरूरत को

प्रकाशित करके इस कार्य को किया जा सकता है। इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार युवाओं से जुड़ने वाला माध्यम तैयार करने के लिए प्रतिनिधि शिक्षण संस्थाओं, युवा समूहों और अन्य सहभागियों का निर्धारण कर सकती है।

- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को युवाओं के एक ऐसे उपवर्ग का निर्धारण करना चाहिए जिसके साथ वह निरंतर और व्यवस्थित ढंग से बातचीत कर सके और जो **उसके कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में मदद** कर सके। मंत्रालय को चाहिए कि वह विशिष्ट परंतु प्रतिनिधि वर्ग के व्यक्तियों का एक युवा सलाहकार परिषद बनाए। यह परिषद सरकार को मुख्य नीतिगत मुद्दों पर अधिक विस्तृत जानकारी दे सकता है, युवाओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम चला सकता है और विभिन्न वर्ग के युवाओं के साथ अधिक नियमित रूप से जुड़ा रह सकता है।
- भारत सरकार को चाहिए कि वह आरजीएनआईवाईडी को भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अधिकार प्रदान करे ताकि आरजीएनआईवाईडी देश में युवा विकास के प्रयासों में नीतिगत समर्थन और क्षमता विकास के लिए शीर्ष स्तरीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर सके।

***

4.10 प्राथमिकता क्षेत्र 10 : समावेशन

4.10.1 वर्तमान स्थिति

ऐसे अनेक युवा हैं जो जोखिमग्रस्त हैं और हाशिए पर चले गए है, और उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों की सुविधा और लाभ मिल रहे हैं। इन युवाओं को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप से श्रेणीकृत किया जा सकता है :

- सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ वंचित युवा, जिनमें अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग समूह के युवा, प्रवासी युवा और महिलाएं शामिल है किंतु यह श्रेणी इन युवाओं तक ही सीमित नहीं है।

- विद्यालय नहीं जाने वाले या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले युवा जो कि औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से दूर चले गए हैं।
- हिंसा प्रभावित जिलों में रहने वाले युवा, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित युवा और जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के युवा।
- विकलांग युवा या गंभीर रोगों से पीड़ित युवा
- जोखिम ग्रस्त युवा, जिनमें नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले युवक, ऐसे युवक जिनकी मानव तस्करी में जाने का खतरा हो और जोखिम वाले पेशों में कार्यरत युवा, यौनकर्मी इत्यादि शामिल तो हैं, किंतु इस श्रेणी में अन्य युवा भी शामिल हैं।
- सामाजिक या नैतिक लांछन वाले युवा, जिनमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) युवा, एचआईवी/एड्स संक्रमित युवा शामिल है, साथ ही इसमें अन्य युवा भी शामिल हैं।
- संस्थागत देख-रेख, अनाथालय, सुधारगृह और कारागार में रहने वाले युवा।

यह श्रेणीकरण उन सम्मिलित उपायों को दर्शाता है जिनका उपयोग इन युवाओं की सहायता करने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें अधिकार संपन्न बनाना और समर्थ बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

युवाओं की इन विभिन्न श्रेणियों की चुनौतियों से निपटने की दिशा में अनेक मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। इन समूहों को लक्षित करते हुए कुछ क्षेत्र विशिष्ट मंत्रालयों ने विशिष्ट कार्यक्रम बनाए हैं जिनमें अधिक समावेशी और समतुल्य सोसायटी बनाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा में सहायता प्रदान करने और लिंग-भेद-भाव आधारित बृहद अंतर को कम करने वाली विशेष योजनाएं हों। अन्य मंत्रालय विशिष्ट समूहों के कल्याण के प्रति जवाबदेह नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करता है। उदाहरणस्वरूप, जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय व्यक्तियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं अर्थात आजीविका सुरक्षा और प्रोत्साहन या शिक्षा की उपलब्धता को देखता है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर अनेक नीतियां बनाई गई हैं जिनका उद्देश्य समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है। ये नीतियां (क) एजुकेशन स्कॉलरशिप और छात्रावास (ख) स्वरोजगार और उद्यमिता की सहायता के लिए ऋण (ग) मलमूत्र ढोने जैसे कतिपय पेशों से बाहर निकाले गए व्यक्तियों का पुनर्वास और (घ) शासन के विभिन्न स्तरों पर राजनैतिक आरक्षण के क्षेत्र में लागू होती हैं। इन नीतियों में इन समूहों के व्यक्तियों को प्रारंभ से ही समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है जिसका उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठा सके और लाभ वंचन एवं गरीबी की स्थिति से उबर सके।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित तथा हिंसाग्रस्त अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। भारत सरकार हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवाओं को उपयोगी कार्यों में लगा दिया गया है। उदाहरणार्थ, योजना आयोग इन क्षेत्रों का त्वरित विकास करने के लिए वर्ष 2010-11 से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 82 चुनिंदा जिलों (जिसकी संख्या बढ़कर अब 88 हो गयी है) में समेकित कार्य योजना (आईएपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। कौशल विकास इस योजना के अंतर्गत ध्यान दिया जाने वाला प्रमुख क्षेत्र है। इसी प्रकार गृह मंत्रालय भी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कौशल विकास योजनाएं चलाने के लिए निधियां प्रदान करता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विकलांगता कार्य विभाग एजुकेशन स्कॉलरशिप, उपकरणों या यंत्रों की खरीद के लिए सहायता, पुनर्वास के लिए अनुदान और विकलांग व्यक्तियों की सेवाएं लेने पर नियोक्ताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की सहायता करता है।

सरकार का यह मानना है कि इस समय न केवल जोखिम ग्रस्त युवाओं को मदद प्रदान करना अनिवार्य है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि युवाओं को भविष्य में ऐसी किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े जो उन्हें जोखिम में डालती हो। उदाहरणार्थ- वर्तमान में ड्रग्स या एल्कोहल का सेवन करने वाले युवाओं के लिए, भारत सरकार जागरुकता एवं जानकारी

का प्रचार-प्रसार, काउंसलिंग तथा पुनर्वास को कवर करनेवाला अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपना रही है।

लाभ से वंचित युवाओं या जोखिम ग्रस्त युवाओं के कतिपय वर्गों को लक्ष्य में रखकर बनाए गए उपयुक्त कार्यक्रमों के अलावा, अन्य सरकारी कार्यक्रमों में भी युवाओं के ऐसे वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी), प्रवासी, अल्पसंख्यकों, मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर के युवाओं, जोखिम से भरे पेशों में लगे युवाओं आदि जैसी श्रेणियों के युवाओं को उच्च प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है।

4.10.2 भावी आवश्यकताएं

क) लाभ से वंचित युवाओं को समर्थ बनाना और उनकी क्षमताएं बढ़ाना : यह आवश्यक है कि सरकार औपचारिक व्यवस्था में समता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने पर ध्यान दिए जाने की प्रक्रिया को जारी रखे। भारत सरकार इन युवाओं के लिए अपने वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि ये कार्यक्रम कहां प्रभावी रहे हैं और कहां असफल रहे हैं और इसके कारण क्या हैं। शिक्षा लाभ से वंचित युवाओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा का अधिकार और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है, फिर भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है कि युवा स्वस्थ रहें और अधिकांश शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ उठाने के साथ-साथ आय अर्जक अवसरों को न गवाएं जो कि उनके लिए अधिक जरूरी है।

ख) हिंसा-प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना : हिंसा और उग्रवाद में युवाओं की भागीदारी का मुख्य कारण है - उनके लिए आजीविका अवसरों की कमी। इसलिए यह अनिवार्य है कि इन युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अवसंरचना विकास, सामाजिक-राजनैतिक पहुंच और जागरुकता सृजन का कार्यक्रम युवाओं को ऐसा क्रियाकलापों की ओर आकर्षित होने से लंबे समय तक रोक सकता है।

ग) विकलांग युवाओं की सहायता करने के लिए बहु-सूत्री दृष्टिकोण बनाना : हालांकि भारत सरकार ने विकलांग युवाओं की सहायता के लिए अनेक उपाय किए हैं, फिर भी इन युवकों के लिए प्रणाली और अवसंरचना का सृजन करना आवश्यक है ताकि वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर अनेक सिफारिशें की गई हैं तथा सभी संबंधित मंत्रालयों को इस संबंध में कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

घ) युवाओं को जोखिम से बचाने के लिए जागरुकता एवं अवसरों का सृजन : हालांकि सरकार जोखिम ग्रस्त युवाओं के लिए सहायता एवं पुनर्वास प्रणाली बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं, फिर भी, इसके साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाएं बनाना अनिवार्य है कि युवाओं को ऐसी परिस्थितियों का फिर से सामना करना न पड़े जो कि उनके लिए शारीरिक एवं मानसिक जोखिम का खतरा बने। ऐसे युवाओं, जिनके जोखिम में पड़ने की संभावनाएं हैं, के लिए लक्षित एवेयरनेस एंड आउटरिच प्रोग्राम तैयार किया जाना चाहिए और इसे प्राथमिकता आधार पर शुरू किया जाना चाहिए।

***

4.11 प्राथमिकता क्षेत्र 11 :सामाजिक न्याय

4.11.1 वर्तमान स्थिति

इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी पृष्ठभूमि के युवा भेदभाव, लांछन और लाभवंचन की स्थिति से मुक्त रहें और उनके पास मुस्तैद और निष्पक्ष न्याय प्रणाली का सहारा हो। इस बात को सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किए गए हैं कि भारत सरकार का कार्यक्रम समावेशी हों और लाभ से वंचित समूहों को मदद मिल रही है।। यह महत्वपूर्ण है कि ठोस कार्रवाई और अन्य लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ से वंचित समूहों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाए। इसके अलावा, दहेज, बाल विवाह, ऑनर किलिंग, जाति आधारित भेदभाव और एलजीबीटी युवा का लांघन अर्थात गैर-कानूनी सामाजिक प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए बेहतर निगरानी और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जमीनी स्तर पर नैतिक विचारधारा को बदलने और शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए ताकि लांछन और भेदभाव की प्रथाएं दूर की जा सकें और सभी को सामाजिक न्याय मिल सके।

4.11.2 भावी आवश्यकताएं

क) अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए युवाओं को शामिल किया जाना : अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर जागरुकता बढ़ाने और शिक्षा देने के कार्य में देश के युवाओं को शामिल किया जा सके। इसके अलावा, जमीनी स्तरों पर अनुचित सामाजिक प्रथाओं की मौजूदगी का जायजा लेने और इसकी जानकारी देने के लिए युवाओं को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

ख) सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा बढ़ाना : व्यक्तियों को सभी स्तरों पर औपचारिक न्याय व्यवस्था की बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। मुकदमों का तेजी से निपटान किया जाना चाहिए ताकि औपचारिक दंड का डर बना रहे। जमीनी स्तरों पर वर्तमान अड़चनों और खामियों की जानकारी रखनी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

****

निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा

राष्ट्रीय युवा नीति(एनवाईपी) 2014 की सफलता का निर्धारण

5.1 युवा पर नीति के प्रभाव को समझने और देश में युवाओं के लिए भावी कार्यनीतियां तय करने की दृष्टि से एनवाईपी 2014 की सफलता पर नजर रखना और इसका मूल्यांकन करना अनिवार्य है। थोड़े समय के लिए एनवाईपी 2014 को तब सफल माना जा सकता है जब यह दस्तावेज ऐसा प्राथमिकता क्षेत्र हो, जिस पर युवाओं के विकास के लिए तत्काल फोकस किया जाना चाहिए, तो ऐसे दिशा-निर्देश बनाए जाएं जिनकी मदद से स्टेकहोल्डर कार्य करने योग्य कार्यनीतियां तैयार कर सकें और स्टेकहोल्डरों में आपसी तालमेल बढ़ाया जा सके, उन्हें कार्रवाई के लिए ठोस फ्रेमवर्क प्रदान किया जा सके। लंबे समय के लिए, सफलता इस आधार पर निर्धारित की जा सकती है कि क्या युवाओं के लिए एनवाईपी 2014 के उद्देश्य हासिल हुए हैं। अर्थात क्या युवा सफल, स्वस्थ और सक्रिय, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, राजनीति से जुड़े हुए और मुख्य धारा में शामिल हैं। साथ ही ये परिभाषाएं एक साथ मिलकर एनवाईपी 2015 की सफलता तय करने का फ्रेमवर्क तैयार करती हैं और उचित संकेतक चुनने का दिशा-निर्देश उपलब्ध कराती हैं।

निगरानी और मूल्यांकन

5.2 एनवाईपी 2014 में देश के युवाओं के प्रति भारत सरकार के विजन को स्पष्ट करने और उन प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है जहां युवाओं के विकास में मदद करने के लिए ज्यादा सुधार नहीं किया गया है और वहां कार्रवाई करने की जरूरत है। इसका तात्पर्य एक मार्गदर्शक दस्तावेज का प्रयोजन पूरा करने और सभी स्टेकहोल्डरों के लिए कार्रवाई संबंधी फ्रेमवर्क प्रदान करना है।

5.3 देश की विविधता और युवा व्यक्तियों की चिंताओं तथा क्षेत्र विशिष्ट जरूरतों जो एनवाईपी 2014 में सही ढंग से नहीं दर्शाए गए हैं, को पूरा किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को चाहिए कि वह एनवाईपी 2014 में निर्दिष्ट समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी खुद की राज्य युवा नीति भी बनाए।

5.4 इस तथ्य के आलोक में कि भारत सरकार के कई मंत्रालयों के कार्यक्रमों और नीतियों में युवाओं से सम्बद्ध महत्वपूर्ण घटक हैं, युवाओं से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, एनवाईपी 2014 के अंतर्गत पूर्व के नीतिगत दस्तावेजों में दिए गए सुझावों के अनुरूप केंद्र और राज्य स्तरों पर समन्वयन तंत्र स्थापित किए जाने का समर्थन किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का वरिष्ठ सदस्य राज्य समन्वयन समिति की अध्यक्षता कर सकता है इससे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो जाएगा तथा नीति एवं कार्यक्रम संबंधी पहलों को सरल बनाया जा सकेगा।

एनवाईपी 2014 की सफलता को मापनेवाले संकेतक

5.5 नीति की सफलता या प्रभाव को मापने के लिए दो प्रकार के संकेतकों का चयन किया जा सकता है; मुख्य संकेतक और पश्चता संकेतक। मुख्य संकेतक नीति के अल्पावधिक प्रभावों को मापते हैं और ये अधिकांशत: प्रक्रिया आधारित हो सकते हैं। ये इस बात का पूर्व संकेत देते हैं कि नीति अपने उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है या नहीं। दूसरी ओर पश्चता संकेतक पर्याप्त समय के लिए स्थापित कर दिए जाने के बाद नीति के दीर्घावधिक प्रभाव को मापते हैं। इस संकेतकों से इस बात का पता चलता है कि जिन नतीजे को बदला जाना था उन पर नीति का प्रभाव पड़ा है या नहीं और क्या नीति से इसके उद्देश्य हासिल हुए हैं।

5.6 एनवाईपी 2014 की सफलता के **मुख्य संकेतकों** से यह निर्धारित होता है कि क्या नीति से स्टेकहोल्डरों को फ्रेमवर्क और मार्गदर्शन मिल पाया है और इसके प्रयोजन पूरे हुए हैं। निम्नलिखित चार मुख्य संकेतकों का चयन किया गया है:

क) युवा नीति बनाने वाले राज्यों की संख्या?

ख) केंद्र/राज्य सरकार की नीति संबंधी अन्य दस्तावेजों, रिपोर्टों और आरएफडी में एनवाईपी 2014 का कितनी बार संदर्भ लिया गया है?

ग) मीडिया, सिविल सोसायटी, निजी क्षेत्र सहित स्टेकोल्डर के दस्तावेजों में एनवाईपी 2014 का कितनी बार संदर्भ लिया गया है?

घ) एनवाईपी 2014 में निर्धारित कमियों को दूर करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों/नीतियों की संख्या ?

5.7 एनवाईपी 2014 की सफलता के पश्चता संकेतकों की मदद से नीति में युवाओं के लिए निर्धारित 5 उद्देश्यों में से प्रत्येक को हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति को मापा जाता है। संबद्ध उद्देश्यों/प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित 5 पश्चता संकेतकों का चयन किया गया है :

एक्जिबिट ई.6 : एनवाईपी 2014 के पश्चता संकेतक

उद्देश्य	एनवाईपी 2014 की सफलता का पश्चता संकेतक	
1. सफल कार्यबल बनाना	युवा बेरोजगारी दर	उच्च शिक्षा पूरा करने की दर
2. सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना	मातृत्व मृत्यु दर	कॉमनवेल्थ खेल में जीतने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ण पदक
3. सामाजिक नैतिकता की भावना मन में बिठाना और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना	दोषी युवाओं की संख्या (आईपीसी एवं एसएलएल1)	
4. नागरिकों की भागीदारी और विनियोजन को बढ़ावा	35 वर्ष से कम आयु के निर्वाचित पीआरआई सदस्यों की संख्या	बनाए गए नए मतदाता
5. समावेशन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना	विभिन्न सामाजिक समूहों में बेरोजगारी दर	

5.8 एक बेसलाइन मूल्यांकन कराया जाएगा और प्रत्येक संकेतक के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके कारणों की छानबीन की जाएगी और कार्यान्वयन के दौरान उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन संकेतकों को व्यापक युवा विकास संकेतक में भी शामिल किया जा सकता है।

'युवाओं की स्थिति' पर द्विवर्षी रिपोर्ट

5.9 एनवाईपी 2014 में इस बात की सिफारिश की गई है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय प्रत्येक 2 वर्ष में युवाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। इस रिपोर्ट में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन की जा रही युवाओं से जुड़ी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। रिपोर्टों में एनवाईपी 2014 की सफलता के मुख्य एवं पश्चता संकेतकों से संबंधित लक्ष्यों की तुलना में हुई प्रगति का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में युवाओं के साथ भली-भांति जुड़कर निर्धारित की गई प्राथमिकताओं और विचारों का भी संश्लेषण किया जाना चाहिए। अंत में, इस रिपोर्ट में युवाओं के सामने विगत में आई अज्ञात नौतियों को लिखा जाएगा और इन क्षेत्रों में भावी कार्य-योजनाएं बनाने की सिफारिश की जाएगी।

एनवाईपी 2014 की समीक्षा

5.10 एनवाईपी 2014 की हर पाँच वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी, ताकि भारत सरकार प्रमुख उपलब्धियों एवं चुनौतियों का जायजा लेकर युवाओं संबंधी अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव लाते हुए आगे बढ़ सके।

***

भावी कार्ययोजना के विषय में सिफारिशें

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश की आबादी में 27.5 प्रतिशत युवा वर्ग शामिल हैं और देश की प्रगति एवं विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, युवाओं को सक्षम बनाने और सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देनी होगी। इस दस्तावेज में 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का वर्णन किया गया है और ऐसी विशिष्ट कमियों को उजागर किया गया है जिन पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि युवा अपने सामने आने वाली चुनौतियों से निपट सकें और भारत अपनी विशाल आबादी का लाभ उठा सके।

इस बात की आवश्यकता है कि युवाओं के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पहलों का निर्धारण किया जाए और इन्हें किसी ऐसे कार्यक्रम पर लागू किया जाए जो इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डाले। इसके लिए युवाओं हेतु चलाए जा रहे मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करने, स्टेकहोल्डरों के क्रियाकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और युवाओं के लिए नए कार्यक्रमों को वृहत पैमाने पर शुरू करने से पूर्व प्रायोगिक परियोजनाएं चलाने की जरूरत होती है। इसके अलावा यह भी नोट किया जाए कि चुनौतियों की व्यापकता को देखते हुए सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा समेकित प्रयास किया जाना अत्यावश्यक है। युवा विकास और उनकी भागीदारी के लिए निर्धारित उद्देश्यों के संबंध में स्टेकहोल्डरों में तालमेल की जरूरत होगी और युवाओं के समग्र विकास में मदद करने के लिए ऐसे नवीन समाधानों की जरूरत है जिनमें उपलब्ध संसाधनों और साधनों का इस्तेमाल किया जाता है।

6.1. जनसंख्या से लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को युवा में और अधिक निवेश करने की जरूरत

आज युवाओं को अर्थव्यवस्था में भारी अवसर मिल रहा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, हुनर, उद्यमशीलता का विकास और स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के लिए लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की सफलता को बढ़ाने का भी पर्याप्त अवसर है।

भारत सरकार फिलहाल विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से प्रत्येक युवा व्यक्ति पर लगभग 2710 रु. खर्च कर रही है जिसमें 1100 रु. लक्षित कार्यक्रमों के जरिए दिए जाते हैं। इस अवसर का

लाभ उठाने के लिए सरकार को विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए और अधिक निवेश करने की जरूरत होगी।

6.2. युवाओं से जुड़े मुद्दों को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल करना

यह स्पष्ट है कि युवा राष्ट्र के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और युवा को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्रम में रखा जाए। कई तरीकों से ऐसा किया जा सकता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- **आरएफडी में युवा विकास को शामिल करना :** जैसा कि खंड 5 में उल्लेख किया गया है, युवा विकास एक ऐसा क्रिया कलाप है जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अकेले नहीं कर सकता। सभी मंत्रालय युवाओं के विकास और भागीदारी को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की दिशा में कार्य करें इस बात को सुनिश्चित करने का एक मुख्य तरीका यह है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाए और इन्हें संबंधित आरएफडी में समाविष्ट किया जाए। युवा विनियोजन और भागीदारी को संबंधित आरएफडी में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की सफलता के मीट्रिक्स के रूप में शामिल किया जाए।

- **प्रमुख मंत्रालयों को 'यूथ कनेक्ट' कार्यक्रम बनाना चाहिए :** इस बात को देखते हुए कि 27.5 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग है और प्रत्येक मंत्रालय के लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से संबंधित है, इसलिए यह आवश्यक है कि मुख्य मंत्रालय युवाओं से संपर्क बनाए रखे। एनवाईपी 2014 में इस बात की सिफारिश की गई है कि सभी सम्बद्ध मंत्रालय अनिवार्य रूप से 'यूथ कनेक्ट' कार्यक्रम बनाएं। यह कार्यक्रम युवाओं से जुड़ने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में युवाओं को मंत्रालय द्वारा उनके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कार्यशालाओं, ब्रीफिंग और जानकारी सत्र के जरिए ऑफ लाइन तरीके से या सम्बद्ध योजनाओं के हिसाब से आईसीटी एवं सोशल मीडिया के जरिए ऑन लाइन यह जानकारी दी जा सकती है। इन कार्यक्रमों के जरिए उपलब्ध कराई

गई सामग्री या जानकारी भी ब्रोड-बेस्ड युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय यूथ इंगेजमेंट पोर्टल में फीड की जा सकती है।

6.3. सभी स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना और इन पर चर्चा करना

युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की व्यापकता और अलग-अलग दक्षता वाले स्टेकहोल्डरों की विस्तृत श्रेणी को देखते हुए, प्रत्येक स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए दो संभावित भूमिकाएं हैं - कार्यक्रम बनाने के प्रति जवाबदेह 'कर्ता' की या कार्य के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और अन्य स्टेकहोल्डरों के कार्य को प्रोत्साहित करने वाले 'सहायक' की। कर्ताओं और क्रियाकलापों की श्रेणी को समझने के लिए प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में स्टेकहोल्डर मैप बनाए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए, इस बात का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है कि कौन से स्टेकहोल्डर कार्यक्रमों को सीधे वित्तपोषित करने और क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी उठाएंगे और कौन से स्टेकहोल्डर अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेवारी उठाएंगे। उदाहरणार्थ, सामुदायिक विनियोजन के लिए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय अपने एनएसएस, एनवाईकेएस और एनवाईसी जैसे कार्यक्रमों के जरिए 'कर्ता' की भूमिका निभा सकेगा, जो कि युवाओं को सामुदायिक विकास पहलों में शामिल करने की दिशा में कार्य करता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय प्रणालियां तैयार करने में मुख्य 'सहायक' की भूमिका भी निभाता है जिससे युवाओं को मौजूदा सामुदायिक विकास संगठनों के साथ जुड़ने और उनके कार्य में सहयोग करने में मदद मिलती है।

6.4 युवाओं के प्रभावी विनियोजन और भागीदारी के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग :

ऐसे अनेक माध्यम विद्यमान हैं जिनका उपयोग सरकार युवाओं को प्रभावी ढंग से काम पर लगाने और युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए कर सकती है। इसमें से दो प्रमुख माध्यम हैं - आईसीटी और अन्य युवा संगठन।

- **युवा से काम लेने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल :** युवाओं से जुड़ने और उनसे काम लेने के लिए आईसीटी और सोशल मीडिया जैसे प्रमुख माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकताहै।इंटरनेट में युवाओं की बढ़ती हुई रुचि खासकर स्मार्ट फोनों के जरिए को देखते

हुए, भारत सरकार को उन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए, जिनका युवा प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं, युवाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। युवा आउटरिच कार्यक्रमों को अब यूथ क्लबों और इस प्रकार के अन्य नेटवर्कों के जरिए ही नहीं चलाया जाएगा, बल्कि इन्हें इंटरनेट, मोबाइल फोन एप्लिकेशनों और सोशल मीडिया के जरिए भी कार्यान्वित किया जाएगा।

- **मौजूदा संगठनों के जरिए युवा विकास को बढ़ावा देना :** सरकार को चाहिए कि वह बड़ी संख्या में ऐसे स्टेकहोल्डरों की सेवाएं लेने की दिशा में कार्य करे जो इस युवाओं के विकास और भागीदारी बढ़ाने के लिए पहले से ही कार्य कर रहे हैं और सरकार को इन्हीं संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से युवाओं में अपनी पैठ और पहुंच का विस्तार करना चाहिए।

सभी स्टेकहोल्डरों को एनवाईपी 2014 में युवाओं के विकास के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही अपनी कार्यनीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य योजनाएं, कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और इस बात की निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए कि युवाओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है।

संक्षिप्तियों की सूची

एएसएचए	मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
बीसीजी	द बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
बीएनवी	भारत निर्माण स्वयंसेवी
सीसीई	निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन
सीओई	उत्कृष्टता केंद्र
डीएसी	एड्स नियंत्रण विभाग
ईबीआर	आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र
जीईआर	सकल नामांकन दरें
जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
जीओआई	भारत सरकार
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईईओ	स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जेएसवाई	जननी सुरक्षा योजना
एलएएमपी	संसद सदस्यों के विधायी सहायक
एलएनआईपीई	लक्ष्मीबाई नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फिजिकल एजुकेशन
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एमईसी	लघु उद्यम परामर्शदाता
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर
एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
एमओएसएमई	लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमओवाईएएस	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमयूडी	शहरी विकास मंत्रालय
एनएसीओ	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एनसीसी	नैशनल कैडेट कोर
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनआईएस	राष्ट्रीय खेल संस्थान
एनपीएफएआई	नैशनल प्लेयिंग फील्ड्स एसोसिएशन आफ इंडिया
एनपीवाईएडी	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

एनएसडीपी	राष्ट्रीय कौशल विकास नीति
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईसी	राष्ट्रीय युवा कोर
एनवाईकेएस	नेहरू युवा केंद्र संगठन
एनवाईपी 2014	राष्ट्रीय युवा नीति 2014
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएमईजीपी	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमईवाईएसए	पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान
पीएमआरडीएफ	प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप
पीएमएसएसवाई	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
पीवाईकेकेए	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान
आरएफडी	परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज
आरजीएनआईवाईडी	राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
आरजीपीएसए	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना
आरजीयूएमवाई	राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

आरएसईटीआई	ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीई	शिक्षा का अधिकार अधिनियम
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसएजी	स्पेशल एरिया गेम्स
एसएआई	भारतीय खेल प्राधिकरण
एसटीसी	एसएआई(साई) प्रशिक्षण केंद्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएचसी	यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय